

## FACTUAL REPORT

**Sub: Factual report as per the order dated 04/01/2024 of Hon'ble NGT in the matter of OA 149/2023(CZ); "News paper article published in Dainik Bhaskar daily dt. 16.10.2023 regarding dumping of waste and house waste in vacant plot and burning them in open."**

In reference to Hon'ble NGT order dated 04/01/2024 in the matter of OA 149/2023(CZ) "News paper article published in Dainik Bhaskar daily dt.16.10.2023 regarding dumping of waste and house waste in vacant plot and burning them in open" following actions are initiated by MPPCB:-

### **Action Taken by MPPCB:**

- 1) In reference to the order dated 04/01/2024 of Hon'ble NGT, a letter dated 24/01/2024 was issued to Municipal Corporation, Bhopal regarding removal of solid waste from the sites and disposal as per the rules and to ensure compliance with the Solid Waste Management Rules, 2016. The letter is enclosed in **Annexure I**.
- 2) In reference to MPPCB letter dated 24/01/2024, the action taken report is submitted by Bhopal Municipal Corporation vide letter no 695 dated 16/02/2024. The copy is enclosed as **Annexure II**. As per the letter, the contents of action taken are mentioned as under:
  - a. The shopkeepers throwing and burning of garbage near gate no. 04 of AIIMS Hospital were imposed with spot fines. Also dust bins are being installed at shops and garbage collection is being done on daily basis. A fine of Rs. 2900 has been imposed on 14 persons for burning of garbage in Zone 13, Ward No. 54 in the month of January 2024.
  - b. Encroachments were removed from the site near gate no. 4 AIIMS Hospital by the Health Department and the Encroachment Department of BMC. Action has been taken to impose a fine of Rs. 5,000 each on shopkeepers for dumping of construction and demolition materials. Warning notices for imposing penalty for throwing garbage have been put up at site.

A fine of Rs 28,000/- was imposed on shopkeepers for dumping of construction and demolition materials.

- c. A fine of Rs. 9100/- was imposed on 12 persons for open burning of garbage by Health Department of zone no. 9.
  - d. In Zone 16, garbage collection is being carried out on day to day basis from door to door in Ward 74 of Semra area. Warning boards prohibiting throwing of garbage were put up on vacant plots. Spot fine were imposed on persons for throwing garbage in Semra area and challans were presented before the Hon'ble Court against 05 persons as per the section 2016 of the Municipal Corporation Act, 1956.
  - e. Cleaning work has been completed at the sites and after cleaning the vacant land, garbage transportation has been completed. Action is being taken by the staff of the Health Department against those who burn garbage in the open, throw garbage in public places, dumping of construction and demolition waste material.
  - f. From 01/01/2023 to 11/02/2024, for throwing of garbage on open land/nalla etc. total 26512 cases were registered and penalty of Rs 44,40,540/- was imposed, for open burning of garbage total 459 cases were registered and penalty of Rs. 1,44,501/- was imposed and for dumping of construction and demolition waste in public places total 1861 cases were registered and penalty of Rs. 11,94,250/- was imposed.
- 3) In reference to the order dated 04/01/2024 of Hon'ble NGT, the joint committee report of SDM, Bhopal, CPCB, Bhopal and AIIMS, Bhopal submitted to Hon'ble NGT vide order dated 17/10/2023 is reviewed. As per point no. **C- Action Taken (Page -7)** of joint committee report the details are mentioned as under:-

No	Details of location	Violation of Rules	Action
01	Open land near gate 04 of All India Institute of Medical Science	Dumping of solid waste and dumping of seized food stalls	The dumped stalls were removed from immediate effect.
02	Chandbad	No such incidence was observed	-
03	Private land at Simra Gate	Dumping burning waste and of solid	Announcement made for awareness and spot fine on spillage or dumping of waste in the open at roadsides or in empty plots by Nagar Nigam officials' also the authority performed deep cleaning of the plots manually appointing labors as well as mechanically with the use of earth movers (JCB). Notice was also pasted on the walls of the plots for restricting the solid waste dumping activity.
04	Private land at Purshottam Nagar	Dumping and burning of solid waste	

To verify the action taken by Bhopal municipal Corporation in reference to above point a team of following officials Shri Brajesh Sharma, Regional officer, and Ms. Prakamya Tiwari, AE (C) MPPCB, Bhopal, Shri Vineet Tiwari, Additional Commissioner, BMC, Bhopal and Shri Balveer Malik, Assistant Health Officer, Zone 09, Bhopal visited the sites mentioned in the

report submitted by joint committee on 16.02.2024. During inspection the sites namely open land near gate 04 of All India Institute of Medical Science, Private land at Simra Gate and Private land at Purshottam Nagar were visited and no accumulation of solid waste was found on the sites. The photographs of the visit are enclosed in **Annexure III**.



19/02/2024

**Brajesh Sharma**  
**Regional Officer**  
**MPPCB, Bhopal**



19/02/2024

**Prakamya Tiwari**  
**AE (C)**  
**RO, MPPCB, Bhopal**

क्षेत्रीय कार्यालय  
 मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
 पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल  
 Telephone:- 0755-2466392 Email:- romppcb\_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 168 /क्षेका/प्रनिबो/2024  
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/01/2024

आयुक्त,  
 नगर निगम,  
 कुशाभाऊ ठाकरे, सेकेण्ड फ्लोर, ए-विंग,  
 आई.एस.बी.टी. केम्पस, डॉ० अम्बेडकर मार्ग,  
 भोपाल, (म०प्र०)-462023

विषय :- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए. 149/2023 (CZ) (Dumping of waste and house waste in vacant plot and burning them in open) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन बावत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया माननीय एनजीटी भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए. 149/2023 (CZ) (Dumping of waste and house waste in vacant plot and burning them in open) में दिनांक 04.01.2024 को पारित आदेश का अवलोकन हो (प्रति संलग्न है) । प्रस्तुत आदेश में माननीय एनजीटी द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा किये निरीक्षण एवं निरीक्षण दौरान ठोस अपशिष्ट के अनाधिकृत भण्डारण के संबंध में कार्यवाही हेतु निर्देश दिए हैं । संयुक्त समिति की रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न है । प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार समिति द्वारा ठोस अपशिष्ट के अनाधिकृत भंडारण को एम्स भोपाल के गेट नं. 4 के सामने स्थित खाली प्लॉट पर, विजयनगर स्थित खाली प्लॉटों पर, सेमरा स्थित खाली प्लॉटों पर अनाधिकृत रूप से भंडारण पाया गया । स्थल का विस्तृत विवरण माननीय एनजीटी द्वारा गठित ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है । दिनांक 04.01.2024 को पारित आदेश अनुसार भोपाल नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट को स्थल से हटाकर उचित स्थान पर डिस्पोजल करने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया है । अतः कृपया तदनुसार रिपोर्ट में उल्लेखित स्थलों से अनाधिकृत ठोस अपशिष्ट को हटाकर नियमानुसार डिस्पोजल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।

कृपया लेख है कि, उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई की आगामी तिथि 21 फरवरी, 2024 नियत हैं । अतः अनुरोध है कि, प्रकरण में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को 03 दिवस में अवगत करावें । तदनुसार माननीय एनजीटी के समक्ष की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

  
 (बृजेश शर्मा)  
 क्षेत्रीय अधिकारी  
 म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
 भोपाल  




# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

Annexure II

## अपर आयुक्त कक्ष

कमांक 695 / अ.आ.कक्ष / 2024  
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 16-02-24

✓ क्षेत्रीय अधिकारी  
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
भोपाल

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए. 149/2023 (CZ) (Dumping Of Waste and house Waste in vacant plot and bruining them in open) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन बावत्।  
संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र क्र. 167 दिनांक 24.01.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें साथ ही माननीय एन.जी.टी. भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए. 149/2023 (CZ) (Dumping Of Waste and house Waste in vacant plot and bruining them in open) दिनांक 04.01.2024 को पारित आदेश में संयुक्त समिति द्वारा किये गए निरीक्षण दौरान ठोस अपशिष्ट के अनाधिकृत भण्डारण के संबंध में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त दिनांक 04.01.2024 के आदेश के पालन में नगर निगम भोपाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:-

1. जोन क्र. 13 के प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा वार्ड क्र. 54 एम्स अस्पताल गेट न. 04 के आस-पास संचालित दुकानदारों द्वारा कचरा फेंक कर आग लगा दी जाती थी। दुकानदारों पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही कर दुकानों पर डस्टबिन स्थापित कराया जाकर प्रतिदिन कचरा संग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। जोन 13 वार्ड 54 में माह जनवरी 2024 में कचरे में आग लगाने वाले 14 व्यक्तियों पर 2900 रुपये जुर्माना किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)
2. जोन क्र. 14 स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्स गेट न. 04 पिपलिया पेंदेखों मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण व निर्माण एवं विध्वंस सामग्री जमा करने वाले दुकानदारों पर जोन क्र. 14 स्वास्थ्य विभाग व अतिक्रमण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थल से अतिक्रमण व निर्माण एवं विध्वंस सामग्री हटायी गयी। पूर्व में भी निर्माण एवं विध्वंस सामग्री विक्रय करने वाले दुकानदारों पर पाँच-पाँच हजार रुपये के जुर्माने की कार्यवाही की जा चुकी है। (छायाचित्र संलग्न है) दुकानदारों के विरुद्ध मान0 न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं। समय-समय पर स्थल पर साफ-सफाई व वाहनों से चलते-चलते कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों को पकड़ कर जुर्माना किया गया है कचरा फेंकने वालों को रोकने हेतु सूचना-पत्र लागये गए हैं। निर्माण एवं विध्वंस सामग्री जमा करने वाले दुकानदारों पर जोन क्र. 14 स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा 06 प्रकरण में 28,000/- रुपये का जुर्माना किया गया। (छायाचित्र संलग्न है)
3. श्री बलवीर मलिक, प्रभारी सहा. स्वास्थ्य अधिकारी जोन क्र. 09 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में रिक्त भू-खण्डों में कचरा एकत्रित होना व कचरे में आग लगाने की घटनाओं से संबंधित कृत्य करने वाले व्यक्तियों पर जोन क्र. 09 स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 व्यक्तियों पर 9100/- रुपये के जुर्माने की कार्यवाही की गई।

4. श्री दिनेश पाल, प्रभारी सहा. स्वास्थ्य अधिकारी जोन क्र. 16 के प्रतिवेदन के अनुसार वार्ड क्र. 74 सेमरा क्षेत्र में प्रतिदिन डोर टू डोर वाहन से कचरा संग्रहण किया जा रहा है। खाली भू-खण्डों पर कचरा फेंकना प्रतिबंधित के बोर्ड लगाये गए। सेमरा क्षेत्र में कचरा फेंकते पाये जाने पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही की गई व माननीय न्यायालय में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 2016 अन्तर्गत 05 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। खाली प्लाटों के स्वामियों की जानकारी हेतु जोनल अधिकारी जोन क्र. 16 व वार्ड प्रभारी वार्ड 74 को पत्र प्रेषित किये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्तानुसार नगर निगम भोपाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा माननीय एन.जी.टी. भोपाल बेंच बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए. 149/2023 (CZ) (Dumping Of Waste and house Waste in vacant plot and bruining them in open) दिनांक 04.01.2024 को पारित आदेश में संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार स्थलों पर सफाई का कार्य पूर्ण कराया गया है खाली भू-खण्डों की सफाई उपरांत कचरा परिवहन पूर्ण कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा खुले में कचरा जलाने वाले, सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने, निर्माण एवं विध्वंस सामग्री को एकत्रित करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है जिसमें दिनांक 01.01.2023 से 11.02.2024 तक सार्वजनिक स्थल/नाले नाली/खाली भू-खण्ड पर कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों पर कुल 26512 प्रकरणों में 44,40,540/- (चवालिस लाख चालीस हजार पांच सौ चालीस) रुपये का जुर्माना किया गया एवं कचरा जलाने व कचरा जलाते पाये जाने वाले व्यक्तियों पर कुल 459 प्रकरणों में 1,44,501/- (एक लाख चवालिस हजार पांच सौ एक) रुपये का जुर्माना किया गया तथा सार्वजनिक स्थल पर निर्माण एवं विध्वंस सामग्री रखने वाले व्यक्तियों / दुकानदारों पर कुल 1861 प्रकरणों में 11,94,250/- (ग्यारह लाख चौरान्चे हजार दो सौ पचास) रुपये का जुर्माना किया गया है।

अतः नगर निगम भोपाल द्वारा माननीय एन.जी.टी. भोपाल बेंच बेंच द्वारा दिनांक 04.01.2024 को पारित आदेश के पालन में प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार

(विनीत तिवारी)

अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल

भोपाल, दिनांक—

पृ.क्र. — / अ.आ.कक्ष / 2024  
प्रतिलिपि

01. आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल  
स्वास्थ्य विभाग जोन क्रं. 09

क्रमांक.../...जोन क्रं. 09/स्वा.वि.

भोपाल, दिनांक 06/02/24...

प्रति,

माननीय अपर आयुक्त(स्वास्थ्य)  
नगर पालिक निगम, भोपाल

विषय:-माननीय एन.जी.टी. (सेण्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.एन. नं. 149/2023 (CZ) (Dumping of waste and house waste in vacant plot and burning them in open) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 04.01.24 के अनुपालन बाबत।

संदर्भ:-कार्यालय का पत्र क्रं. 687/अ.आ.कक्ष/2024 भोपाल दिनांक 05.02.24

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि एन.जी.टी. (सेण्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.एन. नं. 149/2023 के अनुसार जोन क्रमांक 09 के अंतर्गत सूची में संलग्न रिक्त भू-खण्डों में कचरा एकत्रित होना व कचरे में आग लगाने की घटनाओं से संबंधित कृत्य करने वाले व्यक्तियों पर जोन क्रं. 09 स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूची, समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर व स्पॉट फाईन का विवरण निर्धारित प्रारूप में पत्र के साथ संलग्न है जिसका अवलोकन करने का कष्ट करें।

बलवीर प्रभारी  
स्वच्छता प्रभारी  
बलवीर मलिक  
जोनि-09  
स्वच्छता प्रभारी  
नगर निगम, भोपाल  
जोन क्रं. 09  
नगर निगम भोपाल  
10/2/24

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

अपर आयुक्त कक्ष

द्वितीय तल- आई.एस.बी.टी. भोपाल (म.प्र.)

vinct\_tiwari@bmcnline.gov.in



क्रमांक 687 अ.आ.कक्ष / 2024

भोपाल, दिनांक 05.02.2024

प्रति

1. श्री राकेश शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी,  
जोन क्रमांक-14
2. श्री दिनेश पाल, प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी  
जोन क्र. 16
3. श्री बलवीर मलिक, प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी  
जोन क्र. 09
4. श्री विजेन्द्र गुप्ता, प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी  
जोन क्र. 13  
नगर निगम, भोपाल

विषय: माननीय एन.जी.टी. (सेण्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.नं. 149/2023 (CZ) (Dumping of waste and house waste in vacant plot and bkd;flkg;ldkgd;flk; urning them in open) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 04.01.24 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ: क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक/क्षे.का./प्रनिबो/2024 दिनांक निरंक

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रमांक/क्षे.का./प्रनिबो/2024 दिनांक निरंक का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र एवं माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 04.01.24 के आदेश की प्रति मय स्थल छाया चित्र संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण आपके क्षेत्रान्तर्गत होने से उक्त प्रकरण में आपके क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले स्थलों पर संचालित संस्थानों/ व्यक्तियों/ खाली प्लाटों पर आपके द्वारा की गयी कार्यवाही एवं फाइन की विस्तृत रिपोर्ट 02 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को संदर्भित पत्र के परिपालन में प्रतिवेदन भेजा जा सके।

(विनीत तिवारी)  
अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल.

पृ.क्र. /अ.आ.कक्ष / 2024

भोपाल, दिनांक 05.02.2024

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महोदय, नगर निगम, भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।

अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल

सकड़ों को 100 करोड़  
आयोजित है

प्रदर्शनी @ सुबह 12 बजे  
मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय  
में गोंड समुदाय के चित्रकार सतू  
तेकाम के चित्रों को देखें

**ड्रीफ्ट न्यूज**

**खाली प्लॉट पर  
कचरा, 1000 रुपए  
स्पॉट फाइन**

भोपाल @ पत्रिका. भोपाल.  
नगर निगम के सेमरा क्षेत्र  
पुरुषोत्तम नगर में खाली प्लॉट  
पर गंदगी की स्थिति को लेकर  
सोमवार को मुहिम चलाई गई।  
यहां खाली प्लॉटों का निरक्षण  
किया गया। जिसमें खाली प्लॉट  
पर कचरा पाए जाने पर 1000  
रुपए स्पॉट फाइन भी किया।  
प्लॉट की सफाई भी कराई गई।  
प्लॉट मालिक को समझाइश दी  
गई की उक्त प्लॉट को कवर्ड  
करें, जिससे गंदगी न हो। प्लॉट  
मालिक द्वारा आश्वासन दिया  
गया है कि वह प्लॉट को जल्द  
कवर्ड कर लेंगे। उक्त खाली  
प्लॉटों के संबंध में याचिका  
लगी हुई है।

**10 साल पहले  
बनवाया आधार,  
तो कराएं अपडेट**

30000

40000



मालती राय,  
महापौर

**मैनिट में ई-  
से 11 फरवरी**

भोपाल. मौलाना उ  
प्रौद्योगिकी संस्थान (वि  
11 फरवरी उद्यमिता उ  
का आयोजित वि  
कार्यक्रम के मुख्य अ  
डॉ. मोहन यादव होंगे  
तीन दिवसीय  
महोत्सव में स्टार्ट  
हैकार्थॉन, स्टॉक एव  
सिमुलेशन जैसे वि  
आयोजित किए जाएं  
से भी ज्यादा होना  
नेटवर्क बनाने और  
जुड़ने के लिए ए  
करेगा। ई-समिट 24  
नितिन किजय, सुनी  
जैन और निधि नरा  
उद्यमी एवं




कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल





जोन क्रं. 09 स्वास्थ्य विभाग



तर्गत कचरा जलाने पर की गई स्पॉट फाईन का विवरण

नाम	उल्लंघन करते पाए गए	कचरा जलाने पर प्रकरणों की संख्या	कचरा जलाने पर जुर्माने की राशि	अन्य विवरण
	खुले प्लॉट पर कचरा फेंकते पाए गए	1	100	
	खुले प्लॉट पर कचरा जलाते पाए गए	1	100	
शु	खुले प्लॉट पर कचरा फेंकते पाए गए	1	1000	
	खुले प्लॉट पर कचरा फेंकते पाए गए	1	100	
	खुले प्लॉट पर कचरा फेंकते पाए गए	1	100	
	खुले प्लॉट पर कचरा फेंकते पाए गए	1	100	
	खुले प्लॉट पर कचरा फेंकते पाए गए	1	500	
कुल व राशि		7	2000	

बलवीर मौर्य  
स्वच्छता प्रभारी  
जोन- 0,  
नगर निगम, भोपाल









**कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल**  
**स्वास्थ्य विभाग जोन क्रं. 09**

09  
27/01/24  
2-9  
H

क्रमांक..09/जोन क्रं. 09/स्वा.वि.

भोपाल, दिनांक..27/01/24

प्रति,

माननीय अपर आयुक्त(स्वास्थ्य)  
नगर पालिक निगम, भोपाल

विषय:-माननीय एन.जी.टी. (सेण्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.एन. नं. 149/2023 (CZ) न्यूज पब्लिश इन दैनिक भास्कर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य के संबंध में।

संदर्भ:-कार्यालय का पत्र क्रं. 677/अ.आ.कक्ष/2024 भोपाल दिनांक 20.01.24

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि एन.जी.टी. (सेण्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.एन. नं. 149/2023 न्यूज पब्लिश इन दैनिक भास्कर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार जोन क्रमांक 09 के अंतर्गत सूची में संलग्न रिक्त भू-खण्डों में कचरा एकत्रित होना व कचरे में आग लगाने की घटनाओं से संबंधित कृत्य करने वाले व्यक्तियों पर जोन क्रं. 09 स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूची, समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर व स्पॉट फाईन का विवरण निर्धारित प्रारूप में पत्र के साथ संलग्न है जिसका अवलोकन करने का कष्ट करें।

5/10  
29/1/24

बलवीर मलिक  
स्वच्छता प्रमोशन  
नगर पालिक निगम, भोपाल  
नगर निगम, भोपाल



# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

अपर आयुक्त कक्ष

द्वितीय तल- आई एस बी टी भोपाल (म.प्र.)

street.tiwari@bmconline.gov.in



क्रमांक 677 अ.आ.कक्ष 2024

भोपाल दिनांक 20/1/24

- 1 श्री दिनेश पाल  
प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी  
जोन क 16
- 2 श्री बलवीर मलिक  
प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी  
जोन क 09
- 3 श्री विजेन्द्र गुप्ता  
प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी  
जोन क 13  
नगर निगम, भोपाल

विषय माननीय एन.जी.टी. (सेण्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.नं. 149/2023 (CZ) न्यूज पब्लिश इन दैनिक भास्कार विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य (स्मरण पत्र)

संदर्भ कार्यालयीन पत्र क्र 53 भोपाल दिनांक 30.10.2023, 162 भोपाल दिनांक 10.11.2023, 254 भोपाल दिनांक 28.11.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एन.जी.टी. (सेण्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.नं. 149/2023 के प्रकरण न्यूज पब्लिश इन दैनिक भास्कार विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 की छायाप्रति संलग्न है। आपके कार्य क्षेत्र अंतर्गत- पुरुषोत्तम नगर, चांदबढ़, सेमरा गेट, गेट नं. 4, ऑल इण्डिया इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के क्षेत्र में खाली भूखण्डों में कचरा एकत्रित होना व कचरे में आग लगाने की घटनाओं के कारण पर्यावरण प्रदूषण होना अंकित किया गया है। नगर निगम सीमांतर्गत इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही का प्रावधान है। आपके द्वारा उपरोक्त घटनाओं को कारित करने वाले किन-किन व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की गई है तथा माननीय न्यायालय में संबंधितों के विरुद्ध म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत कितने व्यक्तियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई है। यदि उपरोक्त प्रकरण में कार्यवाही से संबंधित लापरवाही बरती जाती है। तो मान. एन.जी.टी. में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाकर यह माना जावेगा कि, आपके द्वारा मान. एन.जी.टी. के आदेश की अवहेलना की जा रही है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

अपर आयुक्त कक्ष

द्वितीय तल- आई.एस.बी.टी. भोपाल (म.प्र.)

vineet.tiwari@bmconline.gov.in



अतः मान एन.जी.टी. के आदेशानुसार आपके द्वारा उपरोक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन छायाचित्र सहित पाथमिकता के आधार पर उपलब्ध करावें।  
संलग्न उपरोक्तानुसार

(विनीत तिवारी)

अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल

पृ.क्र. .... / अ.आ.कक्ष / 2024

भोपाल, दिनांक .....प्रतिलिपि:-

3. आयुक्त महोदय, नगर निगम, भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (स्वास्थ्य) नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अपर आयुक्त  
नगर निगम, भोपाल

Item No. 06

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL  
(Through Video Conferencing)**

**Original Application No. 149/2023(CZ)**

In re: News paper article published in Dainik Bhaskar daily dt. 16.10.2023 regarding dumping of waste and house waste in vacant plot and burning them in open.

Date of Hearing: **04.01.2024**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s):

For Respondent(s):

Ms. Shikha Singh Chouhan, Adv.  
Mr. Om Shankar Shrivastav, Adv.  
Ms. Parul Bhadoria, Adv.

**ORDER**

1. The issue raised in this application are non compliance of Solid Waste Management Rules 2016 in the city of Bhopal as reported in Daily News Paper on 16.10.2023 and the matter was taken up by this Tribunal and after taking cognizance a committee of four officers consisting representative of the Collector, CPCB and AIIMS Bhopal was constituted with direction to submit the factual and action taken report. The committee visited the site and found that there are violation of environmental rules and Solid Waste Management Rules, 2016 and the Solid Waste was thrown in the campus or at the gate no. 4 of AIIMS. It is further reported that Solid Waste of approximately 5 years (legacy waste) was found dumped at the

- for compliance of the Rules and disposal of Solid Waste Management, proper collection, segregation, transportation and disposal of the waste as well as legacy waste and to submit the progress report within three weeks. The State Pollution Control Board is directed to proceed in accordance with law to assess and calculate the environment compensation for violation according to rules.
2. Learned Counsel for the CPCB has filed the counter affidavit and submitted that the compliances of the Solid Waste Management Rules 2016, [Rule 4 (2)] and another rules are within the territorial jurisdiction of State Pollution Control Board and SPCB is duty bound to proceed in accordance with law.
  3. In view of the above facts, we direct the authorities concerned / respondents to strictly enforce the Municipal Solid Waste Rules, 2016 and in case of violation to proceed in accordance with law. Reply / further action taken report be filed within three weeks.

List it on **21<sup>st</sup> February, 2024.**

**Sheo Kumar Singh, JM**

**Dr. A. Senthil Vel, EM**

04<sup>th</sup> January, 2024  
O.A. No. 148/2023 (CZ)  
K


कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

जोन क्रं. 09 स्वास्थ्य विभाग

तर्गत कचरा जलाने पर की गई स्पॉट फाईन का विवरण

नाम	उल्लंघन करते पाए गए	कचरा जलाने पर प्रकरणों की संख्या	कचरा जलाने पर जुर्माने की राशि	अन्य विवरण
	खुले प्लॉट पर कचरा फेंकते पाए गए	1	100	
	खुले प्लॉट पर कचरा जलाते पाए गए	1	1000	
क्या	खुले प्लॉट पर कचरा फेंकते पाए गए	1	500	
	खुले प्लॉट पर कचरा फेंकते पाए गए	1	500	
	खुले प्लॉट पर कचरा फेंकते पाए गए	1	5000	
रण व राशि		5	7100	


बलेदीरमलिक 7/01/24  
स्वच्छता प्रभारी  
जोन- 0,  
नगर निगम, भोपाल



GPS Map Camera

Bhopal, Madhya Pradesh, India  
873, 873, Hinautiya Rd, Vijay Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh 462023,  
India  
Lat 23.270651°  
Long 77.428481°  
25/01/24 11:21 AM GMT +05:30


Google



GPS Map Camera

Bhopal, Madhya Pradesh, India  
873, 873, Hinautiya Rd, Vijay Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh 462023,  
India  
Lat 23.270768°  
Long 77.428469°  
25/01/24 11:43 AM GMT +05:30


Google



GPS Map Camera

Bhopal, Madhya Pradesh, India  
873, 873, Hinautiya Rd, Vijay Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh 462023,  
India  
Lat 23.270717°  
Long 77.428481°  
25/01/24 11:25 AM GMT +05:30





Google



GPS Map Camera

Bhopal, Madhya Pradesh, India  
873, 873, Hinautiya Rd, Vijay Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh 462023,  
India  
Lat 23.270651°  
Long 77.428481°  
25/01/24 11:21 AM GMT +05:30

Google





# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भोपाल

स्वास्थ्य विभाग जोन क्र. -16

क्र. 639/स्वा.वि./2024

भोपाल, दिनांक-14/02/2024

प्रतिवेदन

प्रति,

अपर आयुक्त महोदय,  
नगर निगम, भोपाल

विषय:- माननीय एन.जी.टी (सेण्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.नं. 149/2023 (CZ) न्यूज पब्लिश इन दैनिक भास्कर विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य (स्मरण पत्र) के संबंध में।


संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र. 53 भोपाल दिनांक 30.10.2023, 162 भोपाल दिनांक 10.11.2023, 254 भोपाल 28.11.2023।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी (सेण्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.नं. 149/2023 (CZ) न्यूज पब्लिश इन दैनिक भास्कर विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य (स्मरण पत्र) एवं अपर आयुक्त महोदय जी के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जोन क्र. 16 के अंतर्गत सेमरा क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य वाही की गई है यह कार्यवाही निरंतर जारी हैं एवं आगे भी जारी रहेगी।

- 1.- वार्ड क्र. 74 सेमरा क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा वाहन प्रति दिन पहुंच रहा है एवं सभी घरों से कचरा लिया जा रहा है फोटो संलग्न।
- 2.- वार्ड क्र. 74 सेमरा क्षेत्र में खाली प्लाटो पर कचरा फेकना प्रतिबंधित है कचरा फेकते पाए जाने पर चालानी कार्य वाही की जाएगी के नगर निगम द्वारा बैनर लगवाये गये है फोटो संलग्न।
- 3.- वार्ड क्र. 74 सेमरा क्षेत्र के अंतर्गत खाली प्लाटो पर कचरा फेंकने वालों पर स्पॉट फ़ाईन की कार्यवाही की गई है एवं 5 व्यक्तियों पर कोर्ट चालान (मुचलका) भर पर 1956 की धारा 216 के अंतर्गत केस कर माननीय न्यालय में चालान प्रस्तुत किया गया है ! फोटो एवं चालान की जानकारी संलग्न।
- 4.- सेमरा क्षेत्र एवं जोन 16 के समस्त क्षेत्रान्तर्गत खाली प्लाटो की जानकारी प्राप्त करने हेतु वार्ड प्रभारी 74 एवं जोनल अधिकारी जोन क्र. 16 को पत्र भेजा गया है पत्र की रिसीविंग संलग्न है।

  
दिनेश प्रसाद  
सहा. स्वास्थ्य अधिकारी  
जोन क्रमांक-16  
सहा. स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर पालिका निगम, भोपाल


41524 - 01




4, Kailash Nagar, Semra, Bhopal, Madhya Pradesh 462010, India  
 Latitude: 23.26942° Longitude: 77.43404833333334°  
 Local 09:28:31 AM Altitude: 492 meters  
 GMT 03:59:51 AM Sunday, 04.02.2024



4, Kailash Nagar, Semra, Bhopal, Madhya Pradesh 462010, India  
 Latitude: 23.26942° Longitude: 77.43404833333334°  
 Local 09:28:39 AM Altitude: 492 meters  
 GMT Sunday, 04.02.2024




4, Kailash Nagar, Semra, Bhopal, Madhya Pradesh 462010, India  
 Latitude: 23.26942° Longitude: 77.43404833333334°  
 Local 09:28:39 AM Altitude: 492 meters  
 GMT Sunday, 04.02.2024



GPS Map  
 Camera Lite  
 4, Kailash Nagar, Semra, Bhopal, Madhya Pradesh 462010, India  
 Latitude: 23.26938° Longitude: 77.43402166666667°  
 Local 09:29:52 AM Altitude: 492 meters  
 GMT 03:59:52 AM Sunday, 04.02.2024

दिनेश पाल  
 जोन क्रमांक-16  
 सहा. स्वा. अधिकारी  
 नगर निगम भोपाल


41524-02



GPS Map  
Camera Lite

19/3, Subhash Colony, Pushpa Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh 462010, India

Latitude: 23.27159166666667° Longitude: 77.43291500000001°  
 Local 11:28:33 AM Altitude 492 meters  
 GMT 05:48:33 AM Sunday, 04/02/2024



GPS Map  
Camera Lite

114, Kailash Nagar, Semra, Bhopal, Madhya Pradesh 462010, India


Latitude: 23.271413333333333° Longitude: 77.432758333333334°  
 Local 11:13:36 AM Altitude 492 meters  
 GMT 05:43:36 AM Sunday, 04/02/2024



GPS Map  
Camera Lite

01, Kailash Nagar, Semra, Bhopal, Madhya Pradesh 462010, India

Latitude: 23.269725° Longitude: 77.433958333333334°  
 Local 10:22:53 AM Altitude 492 meters  
 GMT 04:52:53 AM Sunday, 04/02/2024



GPS Map Camera

Bhopal, Madhya Pradesh, India

01, Kailash Nagar, Semra, Bhopal, Madhya Pradesh 462010, India


Lat 23.269715°

Long 77.434073°

09/01/24 01:04 PM GMT +05:30

Google

दिनेश पाल  
 जोन क्रमांक-16  
 सहायक...




GPS Map Camera

Bhopal, Madhya Pradesh, India

Sharda Complex, 60 Feet Rd, New Subhash  
 Colony, Soubhagya Nagar, Subhash Colony,  
 Bhopal, Madhya Pradesh 462010, India  
 Lat 23.266924°  
 Long 77.437215°  
 09/01/24 12:28 PM GMT +05:30

Google




GPS Map Camera

Bhopal, Madhya Pradesh, India

Sharda Complex, 60 Feet Rd, New Subhash  
 Colony, Soubhagya Nagar, Subhash Colony,  
 Bhopal, Madhya Pradesh 462010, India  
 Lat 23.266952°  
 Long 77.43722°  
 09/01/24 12:28 PM GMT +05:30

Google




GPS Map Camera

Bhopal, Madhya Pradesh, India

A-142, Semra Rd, Soubhagya Nagar, Pushpa  
 Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh 462010, India  
 Lat 23.267239°  
 Long 77.433946°  
 09/01/24 12:46 PM GMT +05:30

Google



GPS Map Camera Lite

Shop No. 66, Kailash Nagar, Semra, Bhopal, Madhya Pradesh 462010, India

Latitude 23.27159°

Longitude 77.43305833333334°

Local 02:19:39 PM  
GMT 09:19:39 AM

Altitude 492 meters  
Saturday 03/02/2024

द्विजेश पाल  
 जोन क्रमांक-16  
 सहा. स्वा. अधिकारी  
 नगर निगम भोपाल

**BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION**  
 2nd Floor A Wing Isbt Campus  
 Bhopal  
 Mobile: 997684242  
 Date: 2024-01-09 Time: 12:17:56

**PAID BY:** CASH  
**BASE AMOUNT:** Rs. 500.00  
 SIGNATURE NOT REQUIRED  
 VERSION V.2.0.0  
 PAYMENT RECEIPT

**Name:** Ashoka Tedars  
**Spot Fine:** Ashoka Tedars  
**Spot Fine Type:** On Road and Street Littering in Public Place  
**Zone:** 16  
**Address:** Seetra Kala  
**Txn Id:** 240109070755675E0 54947637

**Razorpay**  
 \*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

SBI Payments

**BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION**  
 2nd Floor A Wing Isbt Campus  
 Bhopal  
 Mobile: 9826695140  
 Date: 2024-03-09 Time: 12:38:52

**PAID BY:** CASH  
**BASE AMOUNT:** Rs. 500.00  
 SIGNATURE NOT REQUIRED  
 VERSION V.2.0.0  
 PAYMENT RECEIPT

**Name:** Ashoka Tedars  
**Spot Fine:** Ashoka Tedars  
**Spot Fine Type:** On Road and Street Littering in Public Place  
**Zone:** 16  
**Address:** Seetra Kala  
**Txn Id:** 240109070857032E1 23706838

**Razorpay**  
 \*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

SBI Payments

**BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION**  
 2nd Floor A Wing Isbt Campus  
 Bhopal  
 Mobile: 9877121275  
 Date: 2024-03-09 Time: 12:50:22

**PAID BY:** CASH  
**BASE AMOUNT:** Rs. 500.00  
 SIGNATURE NOT REQUIRED  
 VERSION V.2.0.0  
 PAYMENT RECEIPT

**Name:** Meena  
**Spot Fine:** Meena  
**Spot Fine Type:** Littering in Public Place  
**Zone:** 16  
**Address:** Seetra Kala  
**Txn Id:** 24010907071953E0 28111463

**Razorpay**  
 \*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

SBI Payments

**BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION**  
 2nd Floor A Wing Isbt Campus  
 Bhopal  
 Mobile: 6261163025  
 Date: 2024-02-04 Time: 10:15:02

**PAID BY:** CASH  
**BASE AMOUNT:** Rs. 200.00  
 SIGNATURE NOT REQUIRED  
 VERSION V.2.0.0  
 PAYMENT RECEIPT

**Name:** Shivm  
**Spot Fine:** Shivm  
**Spot Fine Type:** On Road and Street Littering in Public Place  
**Zone:** 16  
**Address:** Semra Kala  
**Txn Id:** 240204044501651F1 20091136

**Razorpay**  
 \*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

SBI Payments

**BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION**  
 2nd Floor A Wing Isbt Campus  
 Bhopal  
 Mobile: 9589501541  
 Date: 2023-12-31 Time: 09:53:58

**PAID BY:** CASH  
**BASE AMOUNT:** Rs. 500.00  
 SIGNATURE NOT REQUIRED  
 VERSION V.2.0.0  
 PAYMENT RECEIPT

**Name:** Ghanshyam  
**Spot Fine:** Ghanshyam  
**Spot Fine Type:** Burning Waste Segregation Violation  
**Zone:** 16  
**Address:** ayodhya  
**Txn Id:** 23131042358257E0 60420243

**Razorpay**  
 \*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

SBI Payments

**AXIS BANK**  
**BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION**  
 COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL ZONE 18  
 2nd Floor A Wing Isbt Campus  
 Bhopal  
 Mobile: 997589628  
 Date: 2023-12-31 Time: 09:16:27

**PAID BY:** CASH  
**BASE AMOUNT:** Rs. 500.00  
 SIGNATURE NOT REQUIRED  
 VERSION V.2.0.0  
 PAYMENT RECEIPT

**Name:** Sanjay Jain  
**Spot Fine:** Sanjay Jain  
**Spot Fine Type:** Burning Waste Segregation Violation  
**Zone:** 16  
**Address:** ayodhya  
**Txn Id:** 231310424282710E0 40079498

**Razorpay**  
 \*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

SBI Payments

**AXIS BANK**  
**BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION**  
 COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL ZONE 18  
 2nd Floor A Wing Isbt Campus  
 Bhopal  
 Mobile: 932801095  
 Date: 2024-01-09 Time: 12:27:13

**PAID BY:** CASH  
**BASE AMOUNT:** Rs. 1,000.00  
 SIGNATURE NOT REQUIRED  
 VERSION V.2.0.0  
 PAYMENT RECEIPT

**Name:** asif  
**Spot Fine:** asif  
**Spot Fine Type:** Dirty House Gally Specific Categories  
**Zone:** 16  
**Address:** samarkala  
**Txn Id:** 24010906577889E0 60134267

**Razorpay**  
 \*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

SBI Payments

दिनेश पाल  
 जोन क्रमांक-16  
 सहा. स्वा. अधिकारी

पत्र न. 03

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION  
2nd Floor A Wing Islt Campus  
Bhopal  
Mobile 9752075769  
Date: 2024 02 14 Time: 10:23:50

PAID BY: SALE CASH  
BASE AMOUNT: Rs. 1,000.00  
SIGNATURE NOT REQUIRED  
Islam uddin  
VERSION V-2.0.0  
PAYMENT RECEIPT

Name: Islam uddin  
Fine Type: Spot Fine  
Fine Sub Type: On Road and Street  
Spot Fine Type: Littering in Public Place  
Zone: 16  
Address: Koluva Kala Bhopal  
Txn Id: 240214045350030E1 60124734

**Razorpay**  
\*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION  
2nd Floor A Wing Islt Campus  
Bhopal  
Mobile 8871691005  
Date: 2024 02 14 Time: 10:31:07

PAID BY: SALE CASH  
BASE AMOUNT: Rs. 200.00  
SIGNATURE NOT REQUIRED  
Pintu  
VERSION V-2.0.0  
PAYMENT RECEIPT

Name: Pintu  
Fine Type: Spot Fine  
Fine Sub Type: On Road and Street  
Spot Fine Type: Littering in Public Place  
Zone: 16  
Address: Koluva Kala Bhopal  
Txn Id: 240214050107127E0 23933318

**Razorpay**  
\*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION  
2nd Floor A Wing Islt Campus  
Bhopal  
Mobile 7509062390  
Date: 2024-02-14 Time: 10:26:55

PAID BY: SALE CASH  
BASE AMOUNT: Rs. 150.00  
SIGNATURE NOT REQUIRED  
Shivdatt  
VERSION V-2.0.0  
PAYMENT RECEIPT

Name: Shivdatt  
Fine Type: Spot Fine  
Fine Sub Type: On Road and Street  
Spot Fine Type: Littering in Public Place  
Zone: 16  
Address: Koluva  
Txn Id: 240214045655094E1 18460360

**Razorpay**  
\*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION  
2nd Floor A Wing Islt Campus  
Bhopal  
Mobile 6267280656  
Date: 2024 02 14 Time: 12:54:52

PAID BY: SALE CASH  
BASE AMOUNT: Rs. 500.00  
SIGNATURE NOT REQUIRED  
Sonu Rajput  
VERSION V-2.0.0  
PAYMENT RECEIPT

Name: Sonu Rajput  
Fine Type: Spot Fine  
Fine Sub Type: On Road and Street  
Spot Fine Type: Littering in Public Place  
Zone: 16  
Address:



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

1 प्लॉटों पर कचरे फेंकने वाले पर स्पॉट फाइन करने के साथ-साथ कोट केस की जानकारी :-

मोबाइल नं.	अभियुक्त के घर का पता	धारा	प्रकरण	दिनांक
7415958393	म.नं. 04 सेमरा कलां गली नं. 05 भोपाल	MC Act 1956 धारा 216	गंदगी एवं खाली प्लांट पर कचरा फेंकना	05 / 02 / 2024
9981667889	म.नं. 10 सेमरा कलां गली नं. 05 भोपाल	MC Act 1956 धारा 216	गंदगी एवं खाली प्लांट पर कचरा फेंकना	05 / 02 / 2024
9755410648	म.नं. 56 सेमरा कलां फेस 02. भोपाल	MC Act 1956 धारा 216	गंदगी एवं खाली प्लांट पर कचरा फेंकना	05 / 02 / 2024
9630114544	म.नं. 52 सेमरा कलां फेस 02. भोपाल	MC Act 1956 धारा 216	गंदगी एवं खाली प्लांट पर कचरा फेंकना	05 / 02 / 2024
9302098885	म.नं. 06 सेमरा कलां गली नं. 05 भोपाल	MC Act 1956 धारा 216	गंदगी एवं खाली प्लांट पर कचरा फेंकना	05 / 02 / 2024

  
 दिनेश पाल  
 जॉर्न क्रमांक-16  
 सहाय सियात, अधिकारी  
 नगर निगम भोपाल



प.सू.न-५



# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भोपाल

स्वास्थ्य विभाग जोन क्र. -16

[Bmc.aho.zone16@gmail.com](mailto:Bmc.aho.zone16@gmail.com)

भोपाल, दिनांक- 05/02/2024

क्र-635/स्वा.वि./2024

प्रति,

जोनल अधिकारी,  
जोन क्र. 16  
नगर निगम, भोपाल

विषय:- दिनांक 17/01/2024 को समीक्षा में प्राप्त आयुक्त महोदय के निर्देश से संबंधित ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख हैं कि, आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 17/01/2024 को स्वच्छता सर्वेक्षण अंतर्गत समीक्षा आहुत की गई समीक्षा में रहवासी क्षेत्रों में स्थित रिक्त भूखण्डों में एकत्र हो रही गंदगी के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई हैं एवं जिन रिक्त भूमियों पर कचरा एकत्र हो रहा है उनके विरुद्ध स्पॉट फाईन की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः जोन क्र. 16 वार्ड क्र. 65,68,72,73 एवं 74 वार्डों के अंतर्गत वार्ड कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार रिक्त भूखण्डों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि आयुक्त महोदय द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकें।

सहा. स्वास्थ्य अधिकारी  
जोन क्र. 16  
नगर निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 05/02/24

पृष्ठ क्रमांक 635/जोन-16 स्वा.वि. /2024  
प्रतिलिपि:-

1. अपर आयुक्त महोदय (स्वा.) नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त महोदय नोडल गोविन्दपुरा नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. उपायुक्त महो. (स्वा.) नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।

0/6



सहा. स्वास्थ्य अधिकारी  
दिनांक 05/02/24  
जोन क्र. 16  
क्रमांक-16  
सहा. स्वा. अधिकारी  
नगर निगम भोपाल





4150 न-4



# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भोपाल

स्वास्थ्य विभाग जोन क्र. -16

[Bmc.aho.zone16@gmail.com](mailto:Bmc.aho.zone16@gmail.com)

भोपाल, दिनांक-05/02/2024

क्र. 636/स्वा.वि./2024

प्रति,

वार्ड प्रभारी

वार्ड 74 जोन क्र. 16

नगर निगम, भोपाल

विषय:- दिनांक 17/01/2024 को समीक्षा में प्राप्त आयुक्त महोदय के निर्देश से संबंधित ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 17/01/2024 को स्वच्छता सर्वेक्षण अंतर्गत समीक्षा आहुत की गई समीक्षा में रहवासी क्षेत्रों में स्थित रिक्त भूखण्डों में एकत्र हो रही गंदगी के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई है एवं जिन रिक्त भूमियों पर कचरा एकत्र हो रहा है उनके विरुद्ध स्पॉट फाईन की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः जोन क्र. 16 वार्ड क्र. 74 वार्डों के अंतर्गत वार्ड कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार रिक्त भूखण्डों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि आयुक्त महोदय द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

दिनेश पाल  
जोन क्र. 16  
सहा. स्वा. अधिकारी  
नगर निगम भोपाल  
भोपाल, दिनांक.....

पृष्ठ क्रमांक 636/जोन-16 स्वा.वि. /2024  
प्रतिलिपि:-

1. अपर आयुक्त महोदय (स्वा.) नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त महोदय नोडल गोविन्दपुरा नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. उपायुक्त महो. (स्वा.) नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
4. जोनल अधिकारी जोन क्र. 16 नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

010  
वार्ड प्रभारी  
वार्ड क्रमांक-74  
नगर निगम, भोपाल (स प्र)

सहा. स्वास्थ्य अधिकारी  
दिनेश पाल  
जोन क्र. 16  
सहा. स्वा. अधिकारी  
नगर निगम भोपाल



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल  
स्वास्थ्य विभाग, जोन क्र. 13

क्र. 13/जोन क्र. 13/स्वा.वि./2023

भोपाल, दिनांक 06/02/2024

"प्रतिवेदन"

प्रति,

मा. अपर आयुक्त महोदय  
स्वास्थ्य विभाग  
नगर निगम, भोपाल

विषय :- माननीय एन.जी.टी. (सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.नं. 149/2023 (CZ) (Dumping of waste and house waste in vacant plot and bkd.;flkg;ldkgd;flk; urning them in open) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ :- क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक/क्षे.का./प्रनिबो/2024 दिनांक निरंक एवं आपका पत्र क्र. 687/अ.आ.कक्ष/2024 भोपाल, दिनांक 05.02.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय एन.जी.टी. (सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.नं. 149/2023 (CZ) (Dumping of waste and house waste in vacant plot and bkd.;flkg;ldkgd;flk; urning them in open) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन में कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

उपरोक्त संबंध में जोन क्र. 13 अंतर्गत वार्ड क्र. 54, एम्स हॉस्पिटल गेट न. 04 के आस-पास स्थल निरीक्षण किया गया निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि उक्त स्थानों पर संचालित दुकानदारों द्वारा कचरा फेका जाता था। कचरे में दुकानदारों द्वारा ही आग लगा दी जाती थी। दुकानदारों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही करते हुए एम्स के गेट न. 04 पर डस्टबीन लगवाया गया है, एवं दुकानों से प्रतिदिन कचरा कलेक्शन किया जा रहा है, आस-पास की सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर लिया गया है। आपके द्वारा पत्र में उल्लेखित क्षेत्रों में मेरे द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बनें। माह जनवरी 2024 में आग लगाने व्यक्तियों पर 14 प्रकरण में 2900 रुपये जुर्माना वसुला गया है।

अतः प्रतिवेदन आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- स्थल की छायाचित्र एवं स्पॉट फाईन कार्यवाही विवरण।

प्र. स्वास्थ्य अधिकारी  
जो. क्र. 13  
नगर निगम, भोपाल



GPS Map Camera




Bhopal, Madhya Pradesh, India  
6F37+87X, Barkhera Pathani, Bhopal, Madhya Pradesh 462043, India  
Lat 23.203775°  
Long 77.463129°  
01/02/24 10:29 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Bhopal, Madhya Pradesh, India  
6F37+87X, Barkhera Pathani, Bhopal, Madhya Pradesh 462043, India  
Lat 23.203758°  
Long 77.463076°  
01/02/24 10:37 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Bhopal, Madhya Pradesh, India  
6F37+62R, Siring Rd, AllMS Campus, Sakat Nagar, Habib Ganj, Bhopal, Madhya Pradesh 462026, India  
Lat 23.203742°  
Long 77.463022°  
01/02/24 10:39 AM GMT +05:30


*Handwritten signature*  
विजेन्द्र गुप्ता  
प्र. स्वास्थ्य अधिकारी  
- विमान भोपाल

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल  
स्वास्थ्य विभाग, जोन क्र. 13

जोन क्र. 13 अंतर्गत माह जनवरी 2024 में आग लगाने के विरुद्ध किये गये स्पॉट फाईन की जानकारी:-

S.no.	Zone	Date	Name	Mob. No.	Amount	Fine SubType
1	13	1/29/2024 13:20	Hasan.bhai	'9893384143	500	Burning Waste
2	13	1/18/2024 13:23	Mugi	'7610120685	200	Burning Waste
3	13	1/15/2024 11:44	tabeer	'9628372851	500	Burning Waste
4	13	1/12/2024 14:55	Bhagban dash	'9893514614	100	Burning Waste
5	13	1/10/2024 14:51	Bharat	'9039118750	100	Burning Waste
6	13	1/10/2024 14:50	shubham	'9399187265	100	Burning Waste
7	13	1/10/2024 14:28	KFM	'9826388388	300	Burning Waste
8	13	1/10/2024 14:06	sk sharma	'6299664597	500	Burning Waste
9	13	1/6/2024 14:11	Rajeah	'9098346878	100	Burning Waste
10	13	1/5/2024 13:16	LilaBhai	'8989992853	100	Burning Waste
11	13	1/4/2024 14:19	Shekhar jadav sahp no 1	'6266206240	100	Burning Waste
12	13	1/4/2024 13:41	Hariram	'8889889628	100	Burning Waste
13	13	1/3/2024 13:10	Rajesh	'7999171699	100	Burning Waste
14	13	1/3/2024 12:31	Radesyam	'7354558126	100	Burning Waste

2900

  
विजेन्द्र गुप्ता  
प्र. स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर निगम, भोपाल

# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

स्वास्थ्य विभाग, जोन क्र. 14

भोपाल, दिनांक-10/02/24

कम 23 / स्वा.वि.जोन-14 / 2024

अपर आयुक्त महो. (स्वास्थ्य)  
नगर निगम, भोपाल

विषय:-

माननीय एन.जी.टी. (सेण्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.नं. 149/ (CZ) (Dumping Of Waste and house Waste in vacant plot and bruining them in open) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:-

अपर आयुक्त कक्ष नगर पालिक निगम भोपाल के पत्र क्र. 687 दिनांक 05.02.2024 व कार्यालयीन पत्र क्र. 15 दिनांक 05.02.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का पत्र क्र. /क्षे.का./प्रनिबो/ 2024 अपर आयुक्त कक्ष नगर पालिक निगम भोपाल के पत्र क्र. 687 दिनांक 05.02.2024 अनुसार वार्ड क्र. 57 क्षेत्रान्तर्गत एम्स गेट न. 04 पिपलिया पेंदेखों मार्ग पर संचालित संस्थानों / व्यक्तियों द्वारा निर्माण एवं विध्वंस सामग्री के संबंध में एम्स गेट न. 04 पिपलिया पेंदेखों मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण व निर्माण एवं विध्वंस सामग्री जमा करने वाले दुकानदारों पर जोन क्र. 14 स्वास्थ्य विभाग के अमले व अतिक्रमण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थल से अतिक्रमण व निर्माण एवं विध्वंस सामग्री हटाने के साथ 10 ट्रक हटाया जाकर 02 ट्रक जब्त करने की कार्यवाही की गयी। स्थल पर पूर्व में भी उक्त निर्माण एवं विध्वंस सामग्री विक्रय करने वाले दुकानदारों पर नगर निगम जोन क्र. 14 स्वास्थ्य विभाग द्वारा पाँच-पाँच हजार रुपये के जुर्माने की कार्यवाही की चुकी है जिसके छायाचित्र संलग्न है। उपरोक्त निर्माण एवं विध्वंस सामग्री विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध मान0 न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं। समय-समय पर स्थल पर साफ-सफाई व कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों को पकड कर जुर्माना किया गया है। (समाचार पत्रों की कटिंग संलग्न है)

अतः जोन क्र. 14 स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थल पर की गई कार्यवाही के छायाचित्र संलग्न कर प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(संकेश शर्मा)  
स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर निगम, भोपाल  
नगर निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक-10/02/24

पृ.क्र. 23 / स्वा.वि.जोन-14 / 2024

प्रतिलिपि:-

1/ आयुक्त महो0 नगर निगम भोपाल की ओर निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

प्र.स्वास्थ्य अधिकारी  
जोन क्र. 14  
नगर निगम, भोपाल

# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

स्वास्थ्य विभाग, जोन क्र. 14

भोपाल, दिनांक-

क्रमांक — / स्वा.वि.जोन-14 / 2024  
प्रति,


श्री शिवा गौहर  
प्रभारी दरोगा वार्ड क्र. 57  
नगर निगम, भोपाल

विषय:- माननीय एन.जी.टी. (सेण्ट्रल जोन बेंच, भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.नं. 149 / (CZ) (Dumping Of Waste and house Waste in vacant plot and bruining them in open) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का पत्र क्र. /क्षे.का. /प्रनिबो/ 2024 दिनांक निरंक व अपर आयुक्त कक्ष नगर पालिक निगम भोपाल के पत्र क्र. 687 दिनांक 05.02.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का पत्र क्र. /क्षे.का./प्रनिबो/ 2024 दिनांक निरंक व अपर आयुक्त कक्ष नगर पालिक निगम भोपाल के पत्र क्र. 687 दिनांक 05.02.2024 अनुसार वार्ड क्र. 57 क्षेत्रान्तर्गत एम्स गेट पिपलिया पेंडेंखॉ मार्ग पर संचालित संस्थानों / व्यक्तियों / खाली प्लाटों पर जमा कचरा तथा नाले नालियों की सफाई और निर्माण एवं विध्वंस सामग्री हटाई जाकर की गयी कार्यवाही एवं जुर्माने की कार्यवाही व जियोटेग छायाचित्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
(राकेश शर्मा)  
प्र.स्वास्थ्य अधिकारी  
जोन क्र. 14  
नगर निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक-

पृ.क्र. — / स्वा.वि.जोन-14 / 2024

प्रतिलिपि:-

1. अपर आयुक्त महो० (स्वास्थ्य) नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।

  
प्र.स्वास्थ्य अधिकारी  
जोन क्र. 14  
नगर निगम, भोपाल



# सड़क किनारे अवैध व्यापार पर कार्रवाई

हरिद्वारी, ब्यूज भा भोपाल

रेल और गुमटियों के साथ अब नगर निगम ने सड़क किनारे निर्माण सामग्री का विक्रय करने वालों के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जोन क्रमांक 14 के पिपलिया पेंदे खा में सड़क के किनारे निर्माण सामग्री का विक्रय कर रहे एक दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब चार ट्रक रेत, गिट्टी, पत्थर और ईट समेत अन्य सामग्री जप्त

पिपलिया पेंदे खा में निगम अमले ने चार ट्रक रेत, गिट्टी, पत्थर और ईट समेत अन्य सामग्री की जप्त

किया गया। एरुचओ राकेश शर्मा ने बताया कि सड़क किनारे रेत-गिट्टी के व्यापार को लोगों ने विक्रय कर रखा है। इससे सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ गईं हैं। ऐसे में निगम अमले ने निर्माण सामग्री विक्रेताओं ने सामान हटाने की अपील की थी। फिर भी नहीं हटाया, तो करीब 15 दिन पहले इनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की।

## भेल क्षेत्र में हटाया अतिक्रमण

भेल। गुरुवार को भेल स्थित पिपलिया पेंदे खा में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण स्थल एवं मार्ग पर अवैध रेत, गिट्टी, ईट, पत्थर आदि सामग्री का विक्रय कर रहे एक दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इससे सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ गईं हैं। ऐसे में निगम अमले ने निर्माण सामग्री विक्रेताओं ने सामान हटाने की अपील की थी। फिर भी नहीं हटाया, तो करीब 15 दिन पहले इनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की।

**सड़क किनारे से रेत, पत्थर ईट आदि सामग्री जप्त की**  
भोपाल। नगर निगम ने गुरुवार को जोन-14 के पिपलिया पेंदे खा में सड़क के किनारे निर्माण सामग्री का विक्रय कर रहे एक दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान चार ट्रक रेत, गिट्टी, पत्थर और ईट जप्त की गई। इधर, इटपुरी सी सेंटर सर्विस रोड में अवैध टैले-गुमटी हटाय।

## स्पॉट फाइन : 10 ट्रक सामान हटाया, 2 ट्रक बिल्डिंग मटेरियल जप्त

भोपाल। राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम स्पॉट फाइन की कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम की विज्ञापित के मुताबिक, इस सिलसिले में गुरुवार को निगम अमले ने पिपलिया पेंदे खा में सार्वजनिक स्थलों और सड़कों के किनारे बिल्डिंग मटेरियल डंप कर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान अमले ने 10 ट्रक भवन निर्माण सामग्री हटाई और 2 ट्रक विभिन्न प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल जप्त किया। इसके साथ ही 6 हजार रुपये तक का स्पॉट फाइन भी वसूल किया। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई। इन व्यापारियों के खिलाफ पूर्व में निगम अमला स्पॉट फाइन की कार्रवाई करने के साथ ही न्यायालय में चालान पेश कर चुका है।

## भेल क्षेत्र में हटाया मार्गों का अतिक्रमण

भेल। भेल स्थित पिपलिया पेंदे खा में दुकानदारों के द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं मार्ग पर अवैध रेत, गिट्टी, ईट, पत्थर सहित अन्य भवन निर्माण सामग्री बेची जा रही है। इससे धूल, रेत अत्यधिक होने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो रही थी। इसे देखते हुए अतिक्रमण अमले द्वारा हटाया गया।

पूर्व में भी इन दुकानदारों पर नगर निगम जोन 14 के अमले ने 5000-5000 रुपये का स्पॉट फाइन किया था। न्यायालय में भी चालान प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसके परचात भी इनके द्वारा सामग्री नहीं हटाई जा रही थी। अपर आयुक्त के निर्देशानुसार जोन क्रमांक 14 स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ ही अतिक्रमण अमले के द्वारा पट्टकानदारों द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं मार्ग पर अवैध रूप से एकत्र सामग्री पर अतिक्रमण की कार्यवाही की गई। इसमें स्थल पर 6000 रुपये का जुर्माना एवं लगभग 10 ट्रक सामग्री हटवाई और 2 ट्रक सामग्री जप्त की गई।

Forwarded to: For complete report information and necessary action

MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL

Scanned with OKEN Scanner

## भवन निर्माण सामग्री का व्यवसाय करने वालों पर निगम की कार्यवाही

भोपाल, ( काप्र )। नगर निगम द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने तथा साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में निगम के जोन क्र. 14 के अमले ने वार्ड क्र. 57 के पिपलिया पेंदे खा में सार्वजनिक स्थलों/मार्गों पर अवैध रूप से भवन निर्माण सामग्री रखकर व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

## निगम अमले ने 10 ट्रक सामान हटाया

भोपाल @ पत्रिका. अवैध रूप से भवन निर्माण सामग्री रखकर व्यवसाय करने वालों पर गुरुवार को जोन क्रमांक 14 के निगम अमले ने वार्ड क्रमांक 57 के पिपलिया पेंदे खा में सार्वजनिक स्थलों/मार्गों पर अवैध रूप से भवन निर्माण सामग्री रखकर व्यवसाय करने

# भेल-संतनगर जागरण

कोलार • मंडीदीप • औबेदुल्लागंज • बैरसिया

## अतिक्रमण को लेकर सख्त हुआ निगम पिपलिया पेंदे खां में की बड़ी कार्रवाई

भेल। भेल टाउनशिप और गोविंदपुरा के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण को लेकर नगर निगम में सख्त रवैया अपना लिया है। गत दिवस रत्नागिरी के मुख्य मार्ग पर विगत कई सालों से रेत और गिट्टी के कारोबार का अतिक्रमण पर मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा था उसके उपरंत गुरुवार को निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले ने जोन क्रमांक 14 वार्ड क्रमांक 57 स्थित पिपलिया पेंदे खां में दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं मार्गों पर अवैध रूप से रेत, गिट्टी, ईट, फर्सी इत्यादि भवन निर्माण सामग्री विक्रय की जा रही थी जिससे धूल रेत अत्यधिक होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो रही थी साथ ही वाहनों एवं नागरिकों के आवागमन में भी समस्या उत्पन्न हो रही थी जिस कारण मार्गों पर अवैध रूप से एकत्र सामग्री पर अतिक्रमण की कार्यवाही की गई जिसमें स्थल पर 6000 रुपये का जुर्माना एवं



लगभग 10 ट्रक सामग्री हटवाई और 2 ट्रक सामग्री जप्त की गई। गौरतलब है कि पूर्व में भी इन दुकानदारों पर नगर निगम जोन क्रमांक 14 के अमले द्वारा 5000-5000 रुपये का सॉर्ट फाइन भी किया जा चुका था साथ ही मानीय न्यायालय में भी चालान प्रस्तुत किंसे जा चुके थे इसके पश्चात भी इनके द्वारा सामग्री नहीं हटाई जा रही थी। गुरुवार को अपर आयुक्त

महोदय के निर्देशानुसार जोन क्रमांक 14 स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ ही अतिक्रमण अमले के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। इस संबंध में नगर निगम के अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को दोबारा अतिक्रमण करने की हिदायत भी दो जा रही है। सार्वजनिक स्थलों मुख्य मार्गों को जल्द ही अतिक्रमणमुक्त बनाया जाएगा।

दुकानदारों की रेत, गिट्टी, ईट, फर्सी सहित अन्य भवन निर्माण सामग्री हटाई

### बड़ा सवाल... निजामुद्दीन नरेला शंकरा रोड का कब हटगा अतिक्रमण

इंद्रपुरी यादव रेस्टोरेंट से लेकर नरेला शंकरा तक जाने वाली सड़क को लेकर निगम का रवैया सवलों के घेरे में है। इस रोड पर हालात यह है कि दुकानदार और बड़े बड़े इलेक्ट्रोनिकस शोरूमों ने 20-20 फिट तक अतिक्रमण कर रखा है। जवाबदार अधिकारियों को यह अतिक्रमण दिखाई नहीं दे रहा है। यूं तो इस क्षेत्र में धीरे-धीरे अतिक्रमण पैर पसारता जा रहा है और नगर निगम का अतिक्रमण अमला मूकदर्शक बचा हुआ है। खास बात यह है कि वीएचईएल के जुबली गेट इंद्रपुरी यादव होटल से लेकर निजामुद्दीन, श्रवणकांता पेट्रोल पंप, भवावी धाम से लेकर नरेला जोड़ तक बेखौफ अतिक्रमण हो चुके हैं। युद्ध से लेकर शान तक नगर निगम का अतिक्रमण का अमला इस मार्ग से गुजरता है, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION  
2nd Floor A Wing Isbt Campus

Bhopal

Mobile 7974675705

Date: 2023-12-28 Time: 08:37:25

SALE

CASH

PAID BY:

BASE AMOUNT: Rs. 500.00

SIGNATURE NOT REQUIRED

Sanjaey

VERSION V-2.0.0

PAYMENT RECEIPT

Name	Sanjaey
Fine Type	Spot Fine
Fine Sub Type	On Road and Street
spot Fine Type	Littering in Public Place
Zone	14
Ward	56
Address	pipailya pendaey kha
Txn Id	231228030724726E1 80071590

**Razorpay**

\*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

# कचरे की बोरी सड़क पर फेंकी, एचओ ने 3 किमी तक पीछा कर किया जुर्माना

पिपलिया पेंदे खां इलाके में दंपति ने सड़क किनारे फेंक दी थी बोरी

पीपल्स संवाददाता • भोपाल

editor@peoplesamachar.co.in

राजधानी में गंदगी फैलाने वालों को सबक सिखाने के लिए नगर निगम न सिर्फ जुर्माना कर रहा है, वहीं फैलाई गई गंदगी साफ भी कराई जा रही है। लेकिन, लोग भी गंदगी फैलाने और निगम कर्मचारियों की निगाह के बचने की नई-नई जुगाड़ लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को एम्स के पीछे पिपलिया पेंदे खां सड़क पर शिव मंदिर के पास देखने को मिला।

सुबह करीब सवा आठ बजे एक बाइक सवार दंपति ने चलती बाइक से एक बोरी सड़क किनारे



नगर निगम ने लगाया जुर्माना।

फेंक दी। उन्हें लगा कि उन्हें कोई नहीं देख रहा। लेकिन यहां सुबह गश्त पर निकले एचओ राकेश



सड़क पर फेंकी गई कचरे की बोरी।

शर्मा की नजर उन पर पड़ गई। शर्मा ने बोरी को खुलवाकर देखा तो उसमें कचरा था। इसके बाद उन्होंने बाइक सवार दंपति का तीन किमी तक पीछा कर बरखेड़ा में उन्हें रोका। उनसे पूछा कि आपने सड़क पर कचरा क्यों फेंका तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई। लेकिन एचओ ने 500 रुपए का स्पॉट फाइन किया।

# तीन किमी पीछा कर रोका वाहन, किया स्पॉट फाइन

भोपाल. नगर निगम के जोन क्रमांक 14 के अमले ने गुरुवार को एक वाहन का तीन किमी पीछा कर वाहन चालक को खुले में कचरा फेंकते पकड़ा और स्पॉट फाइन किया। एम्स अस्पताल के पीछे पिपलिया पेंदे खां मार्ग पर मोटर साइकिल सवार दंपति घर से लाए

एक बोरी कचरा चलते वाहन से सड़क पर फेंकते पकड़े गए। उन्हें रुकने को कहा जिस पर वे नहीं रुके तो निगम अमले ने लगभग तीन किमी तक पीछा कर बरखेड़ा क्षेत्र में उन्हें रोक कर सड़क पर कचरा फेंककर गंदगी फैलाने के लिए 500 रुपय का फाइन किया।

## सड़क पर कचरा फेंका, लगा 500 रु. जुर्माना

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। भेल क्षेत्र के जोन क्रमांक 14 में काम पर जाते समय एक दंपति को सड़क पर कचरा फेंकना भारी पड़ गया। दरअसल पति के साथ बाइक पर सवार महिला ने कचरे की बोरी सड़क पर फेंक दी। ऐसा करते हुए नगर निगम कर्मचारियों ने देख लिया और तीन किलोमीटर तक उसका पीछा किया। जब दंपति पकड़े में आए तो निगम कर्मियों ने उनका वीडियो दिखाते हुए उन पर 500 रुपये का जुर्माने की रसीद काट दी। साथ ही समझाईश भी दी कि आगे से इस तरह सड़क पर कचरा न फेंके।

जोन 14 के एचओ राकेश शर्मा ने बताया कि पिपलिया पेंदे खां स्थित शिव मंदिर के पास रहने वाले संजय रैदास और ममता गुरूवार की सुबह सवा आठ बजे एम्स अस्पताल के पीछे सड़क पर अपनी मोटर साइकिल से कचरा फेंक कर जा रहे



सड़क पर कचरा फेंकने वाले दंपती का पीछा कर लगाया जुर्माना। • नवदुनिया

थे। तभी कर्मचारियों ने यह देख लिया। हालांकि इसके पहले भी दंपति के द्वारा इस प्रकार सड़क पर कचरा फेंकते हुए कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ा था लेकिन तब समझाईश देकर छोड़ दिया था। लेकिन गुरुवार

को कर्मचारियों ने बाइक का तीन किलो मीटर तक पीछा किया और उन्हें रोक कर इस बारे में पूछा। दोनों ने अपनी गलती मानी। कर्मचारियों ने कचरा फेंकने पर 500 रुपये अर्थदंड मौके पर ही किया गया।

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION  
2nd Floor A Wing Isbt Campus  
Bhopal

Mobile 9039292304  
Date: 2024-01-02 Time: 12:05:25

SALE

PAID BY: CASH  
BASE AMOUNT: Rs.5,000.00

SIGNATURE NOT REQUIRED

nalem traders

VERSION V-2.0.0

PAYMENT RECEIPT

nalem traders

Spot Fine

Construction and

Demolition Waste

Delivery

Segregation

/Collection/Delivery

Violation

14

57

Zone

Ward


Address

Txn Id

plpallya road

240102063524500E0

60105289

 Razorpay

\*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION  
2nd Floor A Wing Isbt Campus  
Bhopal

Mobile 7223024963

Date: 2024-01-02 Time: 12:21:04

**SALE**

PAID BY: CASH  
**BASE AMOUNT: Rs.5,000.00**

SIGNATURE NOT REQUIRED

nisha traders

VERSION V-2.0.0

PAYMENT RECEIPT

Name nisha traders  
Fine Type Spot Fine  
Fine Sub Type Construction and  
Demolition Waste

spot Fine Type Delivery  
Segregation  
/Collection/Delivery  
Violation

Zone 14

Ward 57

Address pipariya

Txn Id 240102065104209E1  
00102032

**Razorpay**

\*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION  
2nd Floor A Wing Isbt Campus  
Bhopal

Mobile 9098055830

Date: 2024-01-02 Time: 12:28:16

**SALE**

PAID BY: CASH  
**BASE AMOUNT: Rs.5,000.00**

SIGNATURE NOT REQUIRED

shezaad bhal

VERSION V-2.0.0

PAYMENT RECEIPT

Name shezaad bhal  
Fine Type Spot Fine  
Fine Sub Type Construction and  
Demolition Waste

spot Fine Type Delivery  
Segregation  
/Collection/Delivery  
Violation

Zone 14

Ward 57

Address plpallya pende khaa

Txn Id 240102065815835E1  
00090560

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION  
2nd Floor A Wing Isbt Campus  
Bhopal  
Mobile 9755108896  
Date: 2024-01-02 Time: 12:32:23

PAID BY: SALE CASH  
BASE AMOUNT: Rs. 5,000.00  
SIGNATURE NOT REQUIRED  
Shahid khan  
VERSION V-2.0.0  
PAYMENT RECEIPT

Name: Shahid khan  
Fine Type: Spot Fine  
Fine Sub Type: Construction and Demolition Waste  
spot Fine Type: Delivery  
Zone: 14  
Ward: 56  
Address: pipaliya penday kha  
Txn Id: 240102070222822E0 20095504




\*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION  
2nd Floor A Wing Isbt Campus  
Bhopal  
Mobile 7049629073  
Date: 2024-01-02 Time: 12:23:52

PAID BY: SALE CASH  
BASE AMOUNT: Rs. 3,000.00  
SIGNATURE NOT REQUIRED  
Davin yadav  
VERSION V-2.0.0  
PAYMENT RECEIPT

Name: Davin yadav  
Fine Type: Spot Fine  
Fine Sub Type: Construction and Demolition Waste  
spot Fine Type: Delivery  
Zone: 14  
Ward: 56  
Address: pipaliya pendaey kha  
Txn Id: 240102065351435E0 20104978



\*\*\* Duplicate Merchant Copy \*\*\*

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION  
2nd Floor A Wing Isbt Campus  
Bhopal  
Mobile 9322349927  
Date: 2024-01-02 Time: 12:17:38

PAID BY: SALE CASH  
BASE AMOUNT: Rs. 5,000.00  
SIGNATURE NOT REQUIRED  
Kesh khan  
VERSION V-2.0.0  
PAYMENT RECEIPT

Name: Kesh khan  
Fine Type: Spot Fine  
Fine Sub Type: Construction and Demolition Waste  
spot Fine Type: Delivery  
Zone: 14  
Ward: 56  
Address: pipaliya penday kha  
Txn Id: 240102064737351E0 40125135



## चलते वाहन से दंपती ने कचरा फेंका, सफाई अमले ने 3 किमी पीछा कर रोका, फाइन लगाया

भोपाल | राजधानी में नगर निगम ने अनोखी कार्रवाई की है। पिपलिया पेंडे खां सड़क पर एक बाइक सवार दंपती घर से कचरे की बोरी लेकर सड़क पर फेंककर भागने लगे। इतने में नगर निगम के सफाई अमले की नजर उन पर पड़ी। अमले ने तत्काल उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन वे भाग गए। इस पर निगम अमले ने करीब 3 किमी तक पीछा कर बाइक सवार दंपती को रोका। उन्हें समझाइश दी कि इस तरह अपने घर का कचरा बाहर फेंकना गलत है। इस तरह की गलती दोबारा न करने के लिए भी समझाया। हालांकि अमले ने सड़क पर गंदगी फैलाने के मामले में उन पर 500 रुपये का स्पॉट फाइन भी लगाया। इधर, अमले ने शहर के विभिन्न जगहों में 64 जगहों पर 35 हजार 900 रुपये का स्पॉट फाइन


## बाइक से सड़क पर कचरा फेंका, 3 किमी पीछा कर किया स्पॉट फाइन

जागरण प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम के स्याब्य विभाग के जून



14 के अमले ने गुरवार को सुबह निरीक्षण के दौरान एम्स अस्पताल के पीछे पिपलिया पेंडे खां मार्ग पर बाइक सवार दंपती ने घर से लाये एक बोरी कचरा चलते वाहन से सड़क पर फेंक दिया। निगम अमले ने रुकने को कहा तो वे नहीं रुके उल्टा बाइक तेज स्पीड में चलाने लगे। निगम अमले ने लगभग तीन किमी तक पीछा कर बरछेछा क्षेत्र में उन्हें रोका कर सड़क पर कचरा फेंककर गंदगी फैलाने के लिए 500 रुपये का स्पॉट फाइन किया और भविष्य में इस प्रकार की गलती न करने हेतु समझाइश भी दी गई। समझाइश के बाद उनके दंपति ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने का आश्वासन भी दिया। निगम अमले ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए कुल 64 प्रकरणों में 35 हजार 900 रुपये की राशि स्पॉट फाइन के रूप में वसूल की। इसी प्रकार जून 15 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए आनंद नगर स्थित सुलभ जनसुविधा केन्द्र में गंदगी पाये जाने पर 02 हजार रुपये, इन्द्रपुरी हास्पिटल प्रबंधन द्वारा सार्वजनिक संपत्ति पर पपलेट पोस्टर विपकाने पर संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही की गई। अयोध्या बायपास स्थित राजीव नगर कालोनी में टनाटन ढाबे के पास सड़क पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों द्वारा यातायात बाधित करने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के साथ ही 03 प्रकरण में 15 हजार रुपये तथा आनंद नगर स्थित साईं हास्पिटल द्वारा नाली में सीवेज छोड़ने पर 05 हजार रुपये का स्पॉट फाइन किया गया।


मुद्रक एवं प्रकाशक राजीव मोहन गुप्त द्वारा जागरण पब्लिकेशन्स प्रा. लि. स्थानीय संपादक : हरिमोहन गुप्त फोन : कार्या. : 0755-6783200 E-mail



Google

**Bhopal, Madhya Pradesh, India**  
 6F78+RQG, Berheda, Bhopal, Madhya Pradesh 462022, India  
 Lat 23.214486°  
 Long 77.466401°  
 08/02/24 06:29 PM GMT +05:30

GPS Map Camera



Google

**Bhopal, Madhya Pradesh, India**  
 6F57+CW, Pipalia Pende Khan, Bhopal, Madhya Pradesh 462026, India  
 Lat 23.208811°  
 Long 77.465562°  
 08/02/24 06:25 PM GMT +05:30

GPS Map Camera

**On Road and Street, Burning Waste & Construction and Demolition Waste  
Delivery POS Report 01 January 2024 To 01 - 11 February 2024**

Sr No.	Month	On Road and Street		Burning Waste		Construction and Demolition Waste Delivery	
		Case	Amount	Case	Amount	Case	Amount
1	January	2546	601883	32	7300	166	167900
2	01 To 11 February	873	271100	10	6300	81	77100
TOTAL		3419	872983	42	13600	247	245000

**On Road and Street, Burning Waste & Construction and Demolition  
Waste Delivery POS Report 01 January 2023 To 31 December 2023**

Sr.No.	Month	On Road and Street		Burning Waste		Construction and Demolition Waste Delivery.	
		Case	Amount	Case	Amount	Case	Amount
1	January	1318	228500.88	29	8050	114	64250
2	February	1615	209750	19	3000	103	42700
3	March	1910	217550.06	23	3750	85	35650
4	April	1382	166158.5	16	3900	95	46850
5	May	2429	308292	19	3050	125	53450.08
6	June	1735	246716	10	2700	119	48900
7	July	2966	302400.03	54	5550	165	43600
8	August	2377	346224	48	9900	183	112600
9	September	1351	213650	10	1400	108	63000
10	October	1883	393650	73	34100	196	139200
11	November	2077	444708	83	38900	145	126500
12	December	2050	489958	33	16601	176	172550
<b>TOTAL</b>		<b>23003</b>	<b>3567557.47</b>	<b>417</b>	<b>130901</b>	<b>1614</b>	<b>949250.08</b>

Name of Paper \_\_\_\_\_ Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_ Vol. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ Page \_\_\_\_\_  
- 3 JAN 2024 -  
CD/No. - 3  
Date \_\_\_\_\_  
दैनिक भास्कर - दैनिक हरि भूमि

**खुले में शौच करने पर 7 लोगों पर स्पॉट फाइन, कचरा फैलाने पर 48 केस**

इन्फ्रस्ट्रक्चर विपार्ट | भोपाल

सार्वजनिक स्थान पर खुले में शौच करने वालों के खिलाफ नगर निगम की ओर से सख्त कार्यवाही की जा रही है। निगम का स्वास्थ्य अमला पील्ड में सक्रिय रहकर ऐसे लोगों को पकड़कर मैके पर ही उनके खिलाफ स्पॉट फाइन की कार्यवाही कर रहा है।

मंगलवार को भी शहर के अलग-अलग इलाकों में ऐसे ही सख्त प्रकरणों में खुले में शौच करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर सीपेंड्री वेस्ट फैलाने, प्रतिबंधित पालीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाली, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने और कचरा जलाने के मामलों में कुल 48 प्रकरण बनाए गए हैं। इनमें 39 हजार 100 रुपये की राशि वसूल की गई है।

**गंदगी फैलाने वालों पर निगम ने फाइन किया**

भोपाल। नगर निगम द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को उच्चस्तरीय बनाने हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही भी की जा रही है। इसी तौरतम्य में निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 48 प्रकरणों में 39 हजार 100 रुपये स्पॉट फाइन के रूप में वसूल किए।

निगम आयुक्त प्रैक नोबल ए के निर्देश पर निगम का स्वास्थ्य विभाग का अमला साफ-सफाई कार्य के साथ ही अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में सतत रूप से निगरानी भी कर रहा है। निगम आयुक्त के निर्देश पर जॉन 14 के अमले ने सार्वजनिक स्थानों पर सीपेंड्री वेस्ट फैलाने एवं पालीथीन का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 41 प्रकरणों में 36 हजार 900 रुपये की राशि स्पॉट फाइन के रूप में वसूल की जबकि जॉन 6 के अमले ने पालीथीन के उपयोग, सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने, आग जलाने व खुले में लघुमंका करने वालों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही की गई।

**दैनिक नई दुनिया**

**साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही**



भोपाल (काप्र)। नगर निगम द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को उच्चस्तरीय बनाने हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही भी की जा रही है। इसी तौरतम्य में निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 48 प्रकरणों में 39 हजार 100 रुपये स्पॉट फाइन के रूप में वसूल किये।

निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम का स्वास्थ्य विभाग का अमला साफ-सफाई कार्य के साथ ही अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में सतत रूप से निगरानी भी कर रहा है। निगम आयुक्त के निर्देश पर जॉन क्र. 14 के अमले ने सार्वजनिक स्थानों पर सीपेंड्री वेस्ट फैलाने एवं पालीथीन का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 41 प्रकरणों में 36 हजार 900 रुपये की राशि स्पॉट फाइन के रूप में वसूल की जबकि जॉन क्र. 06 के अमले ने पालीथीन के उपयोग, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने, आग जलाने व खुले में मूत्र विसर्जन करने वालों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही करते हुए 07 प्रकरणों में 02 हजार 200 रुपये की राशि वसूल की।

MUNICIPAL CORPORATION



Name of Paper \_\_\_\_\_ Place \_\_\_\_\_  
 Date 28 JAN 2024 Vol \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Page \_\_\_\_\_ Co. \_\_\_\_\_  
 C/D No 28 JAN 20  
 Date \_\_\_\_\_

दैनिक राज एक्सप्रेस

दैनिक नई दुनिया

दैनिक नई दुनिया

### गंदगी फैलाने से रोका तो कर्मचारी से की अभद्रता

भोपाल। नगर निगम के सफाई कर्मचारी के साथ अभद्रता करने वाले पर निगम ने 5 हजार रूपए का स्पॉट फाइन लगाया। बताया जाता है कि निगम के जोन 9 के अंतर्गत सेमरा इलाके में कार्यरत सफाई कर्मचारी राजेश अपना काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि सेमरा निवासी अजय नामक व्यक्ति सफाई कर्मचारी के साथ गंदगी फैलाने के लिए सफाई कर्मचारी के साथ अभद्रता शुरू कर दी। कर्मचारी ने तुरंत अपने सहायक स्वास्थ्य अधिकारी बलवीर मलिक को मौके पर बुला लिया। कर्मचारी की शिकायत पर बलवीर मलिक ने गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति पर स्पॉट फाइन लगाते हुए 5 हजार रूपए की राशि वसूल की।

### सफाई मित्र के संग अभद्रता करने वाले पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही

भोपाल (काप्र)। निगम की साफ सफाई व्यवस्था में गंदगी फैलाकर व्यवधान उत्पन्न करने तथा निगम के सफाई मित्र से अभद्रता करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निगम अमले ने स्पॉट फाइन की कार्यवाही करते हुए 05 हजार रूपये की राशि वसूल की। निगम के जोन क. 09 के अंतर्गत सेमरा क्षेत्र में कार्यरत सफाई मित्र राजेश अपना कार्य कर रहा था तभी उसने देखा कि सेमरा निवासी अजय द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाई जा रही है। राजेश द्वारा मना करने पर अजय ने राजेश के साथ अभद्रता की जिसकी शिकायत राजेश ने सहायक स्वास्थ्य अधिकारी बलवीर मलिक से की। राजेश की शिकायत पर बलवीर मलिक ने गंदगी फैलाने वाले अजय के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही करते हुए पांच हजार रूपये की राशि वसूल की और भविष्य में सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी न फैलाने की समझावश दी।

### सफाई मित्र के साथ की अभद्रता, किया जुर्माना

भोपाल। नगर निगम के सफाई मित्र के साथ अभद्रता करने और गंदगी फैलाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध पांच हजार रूपये जुर्माना की कार्यवाही की है। निगम से मिली जानकारी के अनुसार निगम के जोन कर्मचारी के तहत सेमरा निवासी अजय द्वारा सफाई मित्र के साथ गंदगी फैलाई जा रही थी। इसी दौरान सफाई मित्र राजेश ने अजय को गंदगी फैलाने से रोका तो उसने अभद्रता करना शुरू कर दी। इससे राजेश ने उसकी शिकायत सहायक स्वास्थ्य अधिकारी बलवीर मलिक से की। बलवीर मलिक मौके पर पहुंचे और गंदगी फैलाने वाले अजय के खिलाफ मौके पर पहुंचकर पांच हजार रूपये जुर्माना की कार्यवाही की है।

दैनिक शीघ्र समाचार

## नगर निगम की मनमानी; सफाई कर्मों से अभद्रता पर किया 5 हजार का स्पॉट फाइन

जोन-9 में आने वाले सेमरा में गंदगी को लेकर सफाईकर्मों से विवाद का मामला

वीडुक्स संवाददाता • भोपाल  
 मो.नं. 9300697983

सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर स्पॉट फाइन तो आपने सुना होगा, लेकिन अब नगर निगम सफाई कर्मियों से बहस करने पर भी स्पॉट फाइन करने लगा है। ऐसा ही एक मामला जोन-9 के सेमरा क्षेत्र में शनिवार को सामने आया है। यहां एक व्यक्ति को सफाई कर्मों से गंदगी फैलाने को लेकर बहस हो गई। मामला एचओ तक पहुंचा तो उन्होंने संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर पांच हजार रूपए का स्पॉट फाइन कर दिया।

जानकारी के अनुसार निगम का सफाईकर्मों राजेश इस इलाके में साफ सफाई का काम कर रहा था। इस बीच

सेमरा निवासी अजय को उसने सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने से मना किया। इसको लेकर दोनों में बहस हुई। बताया जाता है कि अजय ने सफाई कर्मों से बदसलूकी की। इसकी जानकारी एचओ बलवीर मलिक को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और स्पॉट फाइन की कार्यवाही करते हुए 5 हजार रूपए का चालान धमा दिया। साथ ही उन्होंने दोबारा सफाई कर्मों से अभद्रता न करने को चेतावनी भी दी।

सफाई कर्मचारी से अभद्रता करने पर पांच हजार रूपए का स्पॉट फाइन दिए जाने की जानकारी मुझे नहीं है। स्पॉट फाइन तो गंदगी फैलाने पर किया जाता है। मैं अधिकारियों से कर्ता करने के बाद ही इस बारे में कुछ बताना पाऊंगी।

मालती राय, महापीर

### नियमानुसार गंदगी फैलाने पर 100 से 1,000 रूपए जुर्माना

जानकारी का कहना है कि नियमानुसार गंदगी फैलाने पर नगर निगम संबंधित व्यक्ति के खिलाफ स्पॉट फाइन की कार्यवाही करता है। इसके तहत उस पर 100 रूपए से लेकर अधिकतम 1000 रूपए तक का चालान किया जा सकता है। वहीं अगर कोई सफाई कर्मचारी से अभद्रता या मारपीट करता है, तो उसके खिलाफ जाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अभद्रता और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कराया जा सकता है। नगर निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जबकि सफाईकर्मों से बदसलूकी करने पर किसी के खिलाफ 5 हजार रूपए की स्पॉट फाइन की कार्यवाही की गई।

दैनिक पत्रिका

### सफाई मित्र से अभद्रता, ₹5000 जुर्माना

भोपाल। निगम के सफाई मित्र से अभद्रता करने वाले पर अमले ने पांच हजार का फाइन किया। निगम के जोन 09 के अंतर्गत सेमरा क्षेत्र में कार्यरत सफाई मित्र राजेश अपना काम कर रहे थे। उन्होंने देखा की सेमरा निवासी अजय


MUNICIPAL CORPORATION



Page No. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
 Date of Paper \_\_\_\_\_  
 Page No. \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_  
 3

# दस डंघर भवन निर्माण सामग्री की जख्त

निगम अमले ने 1 लाख 11 हजार 700 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला



## लारिस्टक का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

निगम आयुक्त डेवू गोखर ए के निर्देश पर संपादन को निगम के जेन. के. 15 के स्वस्थ शिफा के अमले पर अधिकारण शिरेडी अमले द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में मजूक रूप से रायसेन रोड क्षेत्र के शिपिन क्षेत्र में अधिकारण कर अंधे रूप से भवन निर्माण सामग्री का विक्रय करने, गुस्डी देने सामने तथा अत्याचार की गैरनी कडाने कबरे में अना सामने व प्रविशित पत्नीलीन व सिंगन वृद्ध लारिस्टक का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

निगम अमले ने रायसेन रोड स्थित बीमा विकरसालय, सोनीगरी, इन्डपुरी सो. सेक्टर, आनन्द नगर आदि क्षेत्रों में अधिकारण कर रजिस्ट्री गुड गुमिडिया, टैले आदि इलाके की कार्यवाही को साथ ही कल्पना नगर सरकारी परिसर

## का निर्माण कार्यवाही करके

भवन निर्माण करा कर दी स्वस्थ को उच्च स्तरीय बनाने हेतु निराकरण कार्यवाही की जा रही है तथा ऊपर-रोड वारस्था में व्यवधान उत्पन्न करने कबरे के विरुद्ध भी कबरी में कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में निगम के जेन. के. 09 के अमले ने निरीक्षण के दौरान रोमरी क्षेत्र स्थित पुरुषभवन नगर में कबरी बनाए पर कबरा एए जाने पर कबरे की सफाई कराई और सही ढंग से पखण्ड स्थापी पर 01 हजार रुपये का स्पॉट फाइन भी किया। निगम आयुक्त डेवू गोखर ए के निर्देश पर निगम के स्वस्थ शिफा के अमले द्वारा शहर की सफा-सफाई व्यवस्था की गैरनिरीक्षण निराकरण को जा. राही है और निरीक्षण-सफाई के साथ अत्याचारनिरीक्षण

अतिक्रमण कर व अन्य प्रकार से गैरनी के लाने वालों कबरे में अना सामने वारस्था तथा पत्नीलीन आदि के उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 71 प्रकारों में 51 हजार 700 रुपए को राशि स्पॉट फाइन के रूप में वसूल की। इस प्रकार निगम अमले ने कुल 83 प्रकारों में 01 लाख 11 हजार 700 रुपए को राशि वसूल की। इस मौके पर निगम अमले मौजूद थे।

Name of Paper \_\_\_\_\_ Place \_\_\_\_\_

Date: 9 FEB 2024 Vol \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Page \_\_\_\_\_

C/D No \_\_\_\_\_

Date: 9 FEB

दैनिक हरि मासि

NOTE

### निगम ने 600 मालिकों को भेजे नोटिस प्लॉट में गंदगी तो मालिक के खिलाफ होगी एफआईआर

हरिभूमि न्यूज ►► भोपाल

शहर की कालोनियों में खाली प्लॉट की देखरेख नहीं होने से यहां कचरे का ढेर लग गए हैं, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों ने प्लॉट मालिकों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। अब तक करीब 600 प्लॉट चिह्नित किए गए हैं, इनके मालिकों को निगम कर्मचारी वाट्स एप पर नोटिस भेज रहे हैं। यदि इसके बाद भी भूखंड की सफाई नहीं कराई जाती, तो मालिकों के खिलाफ थाने में एफआईआर कराई जाएगी। शहर के अवधपुरी, कौलार, अयोग्या नगर, करौद, भानपुर, थावड़िया कलां, कटारा

### निगम के कॉल सेंटर में करें शिकायत

आज लोक निगम के कॉल सेंटर में नई शिफ्ट शुरू कर दी गई है। अब इन कर्मियों की सफाई के लिए मालिकों को नोटिस भेज रहे हैं। यदि फिर भी सफाई नहीं होती, तो पेशकश करवाई करेगी।

विनीत तिवारी, अपर अगुस्त

हिल्स, नीलबड़ और शाहपुरा समेत अन्य कालोनियों में ऐसे हजारों प्लॉट हैं, जिन्हें खरीदने के बाद संपत्ति मालिक इनको देखरेख नहीं कर रहे हैं। जिससे आसपास के लोग वहां कचरा डप कर रहे हैं।

# Municipal Corporation, Bhopal

## READING ROOM SECTION

Name of Paper

Date

Vol

No

Page

CD/No

Date

दैनिक पत्रिका

दैनिक पत्रिका

9 FEB 77

### भवन निर्माण सामग्री का व्यवसाय करने वालों पर विनाश की कार्यवाही

भोपाल, (काप)। नगर निगम द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने तथा नगर-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाली क विरुद्ध कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में निगम के जोन क्र. 14 के अन्तर्गत वे वाई क्र. 57 के पिपलिया पेटे ग्रा में सार्वजनिक स्थलों मार्गों पर अवैध रूप से भवन निर्माण सामग्री रखकर व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 10 टुक भवन निर्माण सामग्री हटवाई तथा 02 टुक विभिन्न प्रकार की सामग्री जप्त की और 06 हजार रुपये का फाईन भी वसूल किया। उपरोक्त व्यवसायियों के विरुद्ध पूर्व में भी निगम द्वारा फाईन की कार्यवाही एवं न्यायालय में चालानी प्रकरण प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा चुकी है। निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा अनेक अधीनस्थ क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग निरंतर की जा रही है। गुरुवार को जोन क्र. 14 के अंतर्गत वाई क्र. 57 स्थित पिपलिया पेटे ग्रा के निरोधन में निगम अमले ने पाया कि यहां सार्वजनिक स्थलों एवं मार्गों पर अवैध रूप से रेत, ईट, गिट्टी आदि भवन निर्माण सामग्री का व्यवसाय किया जा रहा है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ ही नागरिकों को आवागमन में भी अत्यधिक समस्या उत्पन्न हो रही है।

### निगम अमले ने 10 टुक सामान हटवाया

जोडन 14 के अंतर्गत वे वाई क्र. 57 के पिपलिया पेटे ग्रा में सार्वजनिक स्थलों मार्गों पर अवैध रूप से भवन निर्माण सामग्री रखकर व्यवसाय करने वालों के अन्तर्गत 10 टुक सामान हटवाया तथा 02 टुक विभिन्न प्रकार की सामग्री जप्त की। इनमें 06 हजार रुपये का फाईन कर रकम वसूल की।

JULY 2023

DAILY HITVADA

DATE: JULY 2023  
PAGE: 59

## Rs 5,000 worth spot fine collected by BMC from building owner in Trilanga

■ Fine imposed for carrying out construction work without installing green net

■ Staff reporter

THE Municipal Corporation is continuously working to improve the cleanliness of the city, protect the environment and maintain the air quality as per the prescribed standards and also to take action against those who create disruption in the cleanliness system and pollute the environment and air. Spot fine action is also being taken. In the same sequence, the corporation staff took spot fine action against the building owner who was carrying out construction work without installing green net in Trilanga area and recovered an amount



BMC collecting the spot fine.

of Rs 5,000. On the instructions of Corporation Commissioner Frank Noble A, the corporation staff is continuously taking action against those who spread filth and pollute the environment and air. Corporation Zone No. 06 squad on Saturday in ward no. 43 Building no. E-461 in Trilanga Colony where construction work was found to be going on

in without installing green net. An amount of Rs 5,000 was recovered as spot fine from the concerned building owner Nand Lal Singh.

The corporation staff also advised the concerned building owner to carry out construction work in strict conformity after installing green net, otherwise more strict action will be taken.



Name of Paper \_\_\_\_\_ Place \_\_\_\_\_

Date 9 FEB 2024 Vol \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Page \_\_\_\_\_ Co \_\_\_\_\_

CD/No \_\_\_\_\_

Date 9 FEB 2024

दैनिक हरी मूभि

### सड़क किनारे अवैध व्यापार पर कार्रवाई

हरि मूभि न्यूज एंड एडिटर

ठेलों और मुकदमों के साथ अब नगर निगम ने सड़क किनारे निर्माण सामग्री का विक्रय करने वाले के खिलाफ भी सख्त कानून शुरू कर दिया है। नगर निगम को जून क्रमांक 14 के निर्देशों पर सड़क के किनारे निर्माण सामग्री का विक्रय कर रहे एक दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब चार टुक रेत, गिट्टी, पत्थर और ईट समेत अन्य सामग्री जमा

किया गया। एचओ एकेजा जर्म ने बताया कि सड़क किनारे रेत-गिट्टी के व्यापार को लोगों ने सिकावत की थी। इससे सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ गई थी। ऐसे में निगम अमले ने निर्माण सामग्री विक्रेताओं ने सामान हटाने की अपील की थी। फिर भी नहीं हटाया, तो करीब 15 दिन पहले इनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की।

### भेल क्षेत्र में हटाया अतिक्रमण

भेल। नगर निगम के द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं मार्ग पर अवैध रूप से रेत गिट्टी ईट फर्सी इत्यादि भवन निर्माण सामग्री स्टोक की जा रही थी। जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो रही है। साथ ही वाहनों एवं नगरियों के आवागमन में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। पूर्व में भी इन दुकानदारों पर नगर निगम जून क्रमांक 14 के अमले द्वारा 5000-5000 रुपये का स्पॉट फाइन भी किया जा चुका था साथ ही न्यायालय में भी चलान प्रस्तुत किए जा चुके थे इसके परवाह भी इनके द्वारा सामग्री नहीं हटाई जा रही थी। अगर अनुप्राप्त के निर्देशानुसार जून क्रमांक 14 स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ ही अतिक्रमण अमले के द्वारा दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं मार्ग पर अवैध रूप से एकत्र सामग्री पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई जिससे स्थल पर 6000 रुपये का जुर्माना एवं 10 टुक सामग्री हटाई और 2 टुक सामग्री जमा की गई।

दैनिक नव दुनिया

दैनिक पीपुल्स समाचार

सड़क किनारे से रेत, पत्थर ईट आदि सामग्री जमा की जा रही। नगर निगम ने नगर निगम को जून क्रमांक 14 के निर्देशों पर सड़क के किनारे निर्माण सामग्री का विक्रय कर रहे एक दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान चार टुक रेत, गिट्टी, पत्थर और ईट जमा की गई। इस दौरान करीब चार टुक रेत, गिट्टी, पत्थर और ईट समेत अन्य सामग्री जमा

### स्पॉट फाइन : 10 टुक सामान हटाया, 2 टुक बिल्डिंग मटेरियल जप्त

भोपाल। राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से बालों के खिलाफ नगर निगम स्पॉट फाइन की कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम की विज्ञापन के मुकदमों, इस सिलसिले में गुरुवार को निगम अमले ने सार्वजनिक स्थलों और सड़कों के किनारे बिल्डिंग मटेरियल जप्त कर व्यवस्था करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान अमले ने 10 टुक पवन निर्माण सामग्री हटाई और 2 टुक विभिन्न प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल जप्त किया। इसके साथ ही 6 हजार रुपये रुपये का स्पॉट फाइन भी वसूल किया। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई। इन व्यापारियों के खिलाफ पूर्व में निगम अमले स्पॉट फाइन की कार्रवाई करने के साथ ही न्यायालय में चलान पेश कर चुका है।

दैनिक पीपुल्स समाचार

### भेल क्षेत्र में हटाया मार्गों का अतिक्रमण

भेल। भेल स्थित पिपलवा पेंदेखों में दुकानदारों के द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं मार्ग पर अवैध रेत, गिट्टी, ईट, फर्सी सहित अन्य भवन निर्माण सामग्री बेची जा रही है। इससे भूल, रेत अत्यधिक होने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो रही थी। इसे देखते हुए अतिक्रमण अमले द्वारा हटाया गया। पूर्व में भी इन दुकानदारों पर नगर निगम जून 14 के अमले ने 5000-5000 रुपये का स्पॉट फाइन किया था। न्यायालय में भी चलान प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसके परवाह भी इनके द्वारा सामग्री नहीं हटाई जा रही थी। अगर अनुप्राप्त के निर्देशानुसार जून क्रमांक 14 स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ ही अतिक्रमण अमले के द्वारा दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक स्थल एवं मार्ग पर अवैध रूप से एकत्र सामग्री पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। इसमें स्थल पर 6000 रुपये का जुर्माना एवं लगभग 10 टुक सामग्री हटाई और 2 टुक सामग्री जमा की गई।


Forwarded to \_\_\_\_\_  
for complete report information and necessary action

Consulter  
MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL

# साफ सफाई व्यवस्था में व्यवधान करने वालों पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही

भोपाल (काग)।

नगर निगम द्वारा शहर की साफ सफाई व्यवस्था को उच्चस्तरीय बनाने हेतु सतत रूप से कार्य किये जा रहे हैं। साध ही स्वच्छता के प्रति नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करने एवं स्वच्छता की गतिविधियों में सहयोग करने हेतु स्वच्छता की गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है।



इसी तारामध्य में जोन क्र. 14 के अंतर्गत आने वाले वार्डों में स्वच्छता संबंधी कार्यों के साध ही विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यों की जानकारी दी एवं निगम की साफ सफाई व्यवस्था में सक्रिय सहयोग करने व सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, पुटपाथों पर गंदगी, सीपडहो वेस्ट आदि न फेंकाने, पालीथीन, सिंगल यूज

प्लास्टिक इत्यादि का उपयोग न करने की समझाइश दी तथा साफ सफाई व्यवस्था में विभिन्न प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही भी की गई और 35 प्रकरणों में 06 हजार 800

रुपये की राशि वसूल की। निगम आयुक्त श्री पी.के. नोबल ए. के निर्देश पर मंगलवार को जोन क्र. 14 के वार्ड क्र. 56 के विजय मार्केट, करछेड़ा चटानी, माकत नगर, वार्ड क्र. 57 के शांति नगर,

विश्वकर्मा नगर, वार्ड क्र. 60 के अजयपुरी, विद्याभारत इन्स्टीट्यूट क्षेत्र, कंचन नगर तथा वार्ड क्र. 61 के खजुरी कला, सरला पैराडाइज, सन्वी स्टेट आदि में साफ सफाई, जोर-शोर कचरा एकत्रीकरण, नाला-नाली सफाई कार्यों के साध ही गीला सूखा व अन्य प्रकार का कचरा पृथक-पृथक इन्स्टीबिन में रखने, ग्रीन वेस्ट से कम्पोस्ट बनाने हेतु होम कम्पोस्ट यूनिट आदि लगाने सहित निगम की स्वच्छता संबंधी कार्य एवं गतिविधियों में सहयोग करने की समझाइश दी। निगम की साफ सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों, संपत्ति विकरूप करने, प्रदूषण फैलाने वालों पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही करते हुए जोन क्र. 14 के अमले में 35 प्रकरणों में 06 हजार 800 रुपये की राशि स्पॉट फाइन के रूप में वसूल की।

Name of Paper \_\_\_\_\_ Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ Vol \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Page \_\_\_\_\_ Co \_\_\_\_\_

29 DEC 2023

29 DEC 2023

### बोरी में भरा कचरा सड़क पर फेंक कर जा रहे पति-पत्नी को पकड़ा

हरिद्वार, 29 दिसंबर

नगर निगम के प्रकाश अधिकारी द्वारा भ्रम संचालित विभाग के दौरान एम्स अस्पताल के पीछे पिपलिया पेंदे खां मार्ग पर सुबह 7 बजे तक कचरा डाल कर एक दोपरी साइड साइड पर बोरी में भरा कचरा लोकर आया और सड़क पर फेंक कर जा रहे थे। नगर निगम ने शिव मंदिर निवासी सचिव देवरा और पत्नी को अपने जाकर रोका और स्पॉट फाइन किया। एम्स अस्पताल राकेट मार्ग के अनुसार पति-पत्नी अपनी मोटर साइकिल पर 04 बोरी 35 हजार 900 रूपए का स्पॉट फाइन किया गया।



बोरी लोकर आया और सचिव के पीछे पिपलिया मार्ग पर फेंक दिया गया। लगभग 3 किमी पीछा करते हुए बरखोड़ा में उनको रोका गया। उनका हाथ बलवा कि गलती हो गई। उनके इस प्रकार के गुनह पर 500 रूपए का स्पॉट फाइन किया गया।

### काम पर जाते समय सड़क से सड़क पर कचरा फेंक कर तीन किमी पीछा कर पकड़ा, जुर्माना लगा



विभाग निवासी के पास रहे का सचिव देवरा और पत्नी गुरुवार की सुबह सड़क से एक बरखोड़ा के पीछे सड़क पर अपनी मोटर साइकिल से कचरा डाल कर जा रहे थे।

विभाग, कर्मचारियों ने उन्हें का तीन किमी और सड़क 500 रूपए का स्पॉट फाइन लगाया। ही विभाग ने दण्डित को स्पॉटफाइन दी कि सचिव इन तरह सड़क पर कचरा प डालें। देवरा अधिकार कोका मार्ग न बरखोड़ा कि पिपलिया पेंदे खां मार्ग निवासी के पास रहे का सचिव देवरा और पत्नी गुरुवार की सुबह सड़क से एक बरखोड़ा के पीछे सड़क पर अपनी मोटर साइकिल से कचरा डाल कर जा रहे थे।

दैनिक प्रीप्रेस समाचार

### दैनिक सास्कर

#### चलते वाहन से दंपती ने कचरा फेंका, सफाई अमले ने 3 किमी पीछा कर रोका, फाइन लगाया

भोपाल, राजधानी में नगर निगम ने अनैच्छी कचरा फेंकने की है। पिपलिया पेंदे खां सड़क पर एक बाइक सवार दंपती नर से कचरे की बोरी लोकर सड़क पर फेंककर भागने लगे। इन्होंने नगर निगम के सफाई अमले की नजर उन पर पड़ी। अमले ने तत्काल उन्हें रोकने के लिए कचरा रोकिंग से भाग गया। इस पर निगम अमले ने करीब 3 किमी तक पीछा कर बाइक सवार दंपती को रोका। उन्हें समझाया ही कि इस तरह अपने घर का कचरा सड़क फेंकना गलत है। इस तरह की गलती दोबारा न करने के लिए भी समझाया। हल्की अमले ने सड़क पर गंदगी फैलाने के मामले में उन पर 500 रूपए का स्पॉट फाइन भी लगाया। इस अमले ने सड़क के विभिन्न जगहों में 04 जगह 35 हजार 900 रूपए का स्पॉट फाइन वसूला।

## कचरे की बोरी सड़क पर फेंकी, एचओ ने 3 किमी तक पीछा कर किया जुर्माना


पिपलिया पेंदे खां इलाके में दंपति ने सड़क किनारे फेंक दी थी बोरी

प्रीप्रेस संवाददाता • भोपाल  
editor@peoplesamachar.co.in

राजधानी में गंदगी फैलाने वालों को सख्त सिलखने के लिए नगर निगम न सिर्फ जुर्माना कर रहा है, वहीं फैलाई गई गंदगी साफ भी कराई जा रही है। लेकिन, लोग भी गंदगी फैलाने और निगम कर्मचारियों की निगाह से बचने की नई-नई जुगाड़ लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को एम्स के पीछे पिपलिया पेंदे खां सड़क पर शिव मंदिर के पास देखने को मिला। सुबह करीब सवा आठ बजे एक बाइक सवार दंपति ने चलती बाइक से एक बोरी सड़क किनारे



नगर निगम ने लगाया जुर्माना।



सड़क पर फेंकी गई कचरे की बोरी।

शर्म की नजर उन पर पड़ गई। शर्म ने बोरी को खुलाकर नगर देखा तो उसमें कचरा था। इसके बाद उन्होंने बाइक सवार दंपति को तीन किमी तक पीछा कर बरखोड़ा में उन्हें रोका। उनसे पूछा कि आपने सड़क पर कचरा क्यों फेंका? उन्होंने कहा कि गलती हो गई लेकिन एचओ ने 500 रूपए का स्पॉट फाइन किया।

फेंक दी। उन्हें लगा कि उन्हें कोई नहीं देख रहा। लेकिन यहां सुबह गरत पर निकले एचओ राकेट

### दैनिक पत्रिका

## तीन किमी पीछा कर रोका वाहन, किया स्पॉट फाइन

भोपाल, नगर निगम के जेन क्रमांक 14 के अमले ने गुरुवार को एक वाहन का तीन किमी पीछा कर वाहन चालक को खुले में कचरा फेंकते पकड़ा और स्पॉट फाइन किया। एम्स अस्पताल के पीछे पिपलिया पेंदे खां मार्ग पर मोटर साइकिल सवार दंपती ने सड़क

एक बोरी कचरा चलते वाहन से सड़क पर फेंकते पकड़े गए। उन्हें रोकने को कहा जिस पर ये नहीं रुके तो निगम अमले ने लगभग तीन किमी तक पीछा कर बरखोड़ा क्षेत्र में उन्हें रोक कर सड़क पर कचरा फेंककर गंदगी फैलाने के लिए

Committee  
MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL

Name of Paper

दैनिक हरी भूमि

Date

Vol

No

Page

Co

दैनिक हरी भूमि 6 DEC 2023

दैनिक जागरण

दैनिक भास्कर

6 DEC 2023

**निगम अमले ने की कार्रवाई**

**गंदगी फैलाने वालों से 16 हजार रु. स्पॉट फाइन वसूला**

भोपाल। नगर निगम द्वारा शहर की स्वच्छता को बेहतर बनाने, पर्यावरण संरक्षण एवं वायु की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। निगम अमले ने विभिन्न जोन क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 59 प्रकरणों में 16 हजार 700 रुपये की राशि वसूल की। निगम आयुक्त प्रेक नोबल ए के निर्देश पर निगम अमले द्वारा सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी व सीरंडडो वेस्ट सहित अन्य कारणों से साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने व प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वाली पर कार्रवाई कर फाइन वसूला।

**दैनिक पीपुल्स समाचार**

**गंदगी, वायु प्रदूषण फैलाने वाले 56 लोगों पर 16,700 रु. जुर्माना**

भोपाल। राजधानी में गंदगी के साथ ही वायु प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम द्वारा स्पॉट फाइन व कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को नगर निगम की टीमों विभिन्न स्थानों पर 59 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 16,700 रुपये जुर्माना वसूल किया। इस दौरान टीमों ने संबंधित लोगों को गंदगी नहीं फैलाने और वायु प्रदूषण न करने की समझाइश भी दी। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को जोन क्रमांक-6 में 16 लोगों पर 5,200 रुपये का जुर्माना किया गया। इसी तरह जोन क्रमांक-14 में 30 लोगों पर 6,500 रुपये, जोन-15 में 12 लोगों पर 3 हजार रुपये तथा जोन-18 में 11 लोगों पर 2 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

**संक्षिप्त खबरें**

**गंदगी फैलाने वाले 59 लोगों पर स्पॉट फाइन**

जागरण प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम अमले ने शहर के विभिन्न इलाकों में गंदगी फैलाने वाले 59 लोगों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई करती हुए 16 हजार 700 रुपये वसूल करे हैं। निगम अमले ने जोन 6 के संलग्न 6 प्रकरणों में 5 हजार 200 रुपये, जोन 14 में 30 प्रकरणों में 6 हजार 500 रुपये, जोन 15 में 12 प्रकरणों में 3 हजार रुपये तथा जोन 18 के अंतर्गत 11 प्रकरणों में 2 हजार रुपये की राशि स्पॉट फाइन के रूप में वसूल की।

**वातावरण बचाव करने पर 59 लोगों पर कार्रवाई 16 हजार रु. स्पॉट फाइन वसूला**

भोपाल। शहर का वातावरण स्वस्थ करने वाली के खिलाफ नगर निगम का अमल सफल कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के अलग-अलग इलाकों में 59 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। ऐसे में इन लोगों से 16 हजार 700 का स्पॉट फाइन वसूला गया। बताया गया है कि स्पॉट फाइन 30 प्रकरण जोन 14 में बनाए गए। जयन जोन 15 में 12, जोन 18 में 11 और जोन 6 में 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी, सीरंडडो वेस्ट समेत दूसरे कारणों से साफ-सफाई व्यवस्था में बाधा पहुंचा रहे थे।

**दैनिक नव भारत**

**निगम अमले ने 59 प्रकरणों में वसूले स्पॉट फाइन**

भोपाल, 5 दिसम्बर। नगर निगम द्वारा शहर की स्वच्छता को बेहतर बनाने, पर्यावरण संरक्षण एवं वायु की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने हेतु निरंतर कार्य किए जा रहे हैं साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाले एवं पर्यावरण व वायु को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ स्पॉट फाइन की कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में निगम अमले ने विभिन्न जोन क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 59 प्रकरणों में 16 हजार 700 रुपये की राशि वसूल की। निगम आयुक्त प्रेक नोबल ए के निर्देश पर निगम अमले द्वारा सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी व सीरंडडो वेस्ट सहित अन्य कारणों से साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने व प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वाली तथा बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार प्रसार सामग्री लगाकर संपत्ति विरूपण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।

# Municipal Corporation, Bho

## READING ROOM SECTION

Kind of Paper

Price

31 DEC 2023 Vol

No

Page

CD/No

शुद्धक पात्रिका

Date

CUTTS

गंदगी फैलाने पर 103  
प्रकरण बनाए, 55  
हजार का जुर्माना

भोपाल ० पत्रिका, लखनऊ  
कारखाने में लखनऊ उत्पन्न करने  
वर्कों पर खानेपान की मात्रा निम्न  
अम्लों में स्पष्ट फलन किया। निम्न  
के स्वस्थ विभाग के अम्लों में  
रक्त के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाई  
करते हुए कुल 103 प्रकरणों में 55  
हजार 550 रुपये की राशि स्पष्ट  
फलन करूला। अम्लों में सड़कों,  
फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों पर  
गंदगी फैलाने, सीसडडी वेंस्ट  
फैकने, पॉलीथिन/सिंगल यूज  
प्लास्टिक का उपयोग तथा सड़क  
पर पानी जमाई फैलाने वर्कों पर  
कार्यवाई की गई।

198

NOTE

नामिक भास्कर  
Date: 15 DEC 2023 Vol: No: Page: Co: C/D/No: 15 DEC 2023 Date:

बेटी के शादी समारोह के बाद छाना और कचरा मैदान में छोड़ा 3000 रु. का जुर्माना

उज्जयिनी के अजयपुरी मैदान में 13 दिसंबर को मुन्नालाल रेक्यार को बेटी का विवाह हुआ। इस कार्यक्रम में बचा हुआ छाना और डिस्पोजल का कचरा खुले मैदान में छोड़ दिया गया। जब जॉन कन्वक 14 के खार्ड 60 के स्वास्थ्य अम्ले 14 दिसंबर को यहाँ पहुँचा तो कचरा मैदान में फैला हुआ दिखाई दिया। इसके चलते नगर निगम की तरफ से स्वास्थ्य अम्ले ने मुन्नालाल रेक्यार के खिलाफ 3000 रूपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि मुन्नालाल ने देने से इंकार कर दिया।  
इस पर मुन्नालाल रेक्यार व अरके प्रसद के खिलाफ नगर पालिक निगम अप्रिनिगम के प्रवधानों के तहत कोर्ट में चालान पेश किया गया। भेल में डिप्टी इंजीनियर के पद पर कर्मचारी राजकुमार प्रसाद ने भी मुन्नालाल के लिए इस मैदान को अनुमति कराई थी। इसलिए दोनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है।

## खुले रूप से मांस, मछली विक्रय करने वालों पर स्याट फाइन निगम अमले ने वसूली 10 हजार 700 रूपये की राशि

भोपाल, 14 दिसंबर. नगर निगम द्वारा शहर की स्वच्छता को बेहतर बनाने, पर्यावरण संरक्षण हेतु निरंतर कार्य किए जा रहे हैं साथ ही साफ सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाले एवं पर्यावरण प्रदूषित करने वालों तथा खुले में व बिना अनुमति/ लायसेंस के मांस, मछली विक्रय करने वालों के विरुद्ध स्याट फाइन की कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए 17 प्रकरणों में 10 हजार 700 रूपये की राशि वसूल की एवं अजयपुरी मैदान में विवाह कार्यक्रम उपरंत बचा हुआ भोजन व डिस्पोजल/कचरा खुले रूप से छोड़ने का 01 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही भी की गई। निगम आयुक्त प्रिन्स नाबल ए के निदेश पर



निगम अमले ने जो क्र. 16 के अंतर्गत खार्ड क्र. 65, 68 एवं 74 के विभिन्न क्षेत्रों में खुले रूप से तथा बिना लायसेंस के मांस, मछली विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 प्रकरणों में 09 हजार 700 रूपये की राशि वसूल की साथ ही उक्त क्षेत्रों में पालीथिन का उपयोग करने व गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 10 प्रकरणों में 01 हजार रूपये की राशि स्याट

फाइन के रूप में वसूल की इसके अतिरिक्त निगम के जॉन क्र. 14 के अंतर्गत खार्ड क्र. 60 स्थित अजयपुरी मैदान में भेल प्रदासन की अनुमति प्राप्त कर मुन्नालाल रेक्यार द्वारा बेटी का विवाह समारोह उपरंत बचा हुआ भोजन, डिस्पोजल व अन्य प्रकार का कचरा मैदान में खुले छोड़ने पर निगम अमले ने रेक्यार से स्याट फाइन की राशि अदा करने को कहा जिस पर रेक्यार द्वारा राशि देने से इंकार किया गया।

### दैनिक स्वदेश

#### नगर निगम अमले ने आयोजक के खिलाफ की कार्रवाई

भोपाल। भेल के जयपुरी मैदान में सखी के बाद बचा हुआ भोजन खुले में फैलाना आयोजकों को भरी पड़ गया। जिसके बाद नगर निगम के स्वास्थ्य अम्ले ने अरके प्रसद के खिलाफ कार्रवाई की। बताया कि गुल्शर को कचरा बनाने खूबी नगर निगम की टीम को परेशान ने जुर्माने की राशि देने से इंकार कर दिया। इसलिए निगम ने प्रकरण बनकर कोर्ट भेज दिया है। दरअसल मैदान की सखी-सखई भेल प्रदासन को करवाना भी जयपुरी के विवाह आयोजन की परमिशन और सखई की खास भेल प्रदासन ने ली है। इसके बाद सखई मैदान की सफाई नहीं हुई। नगर निगम के जॉन 14 के प्रवधानों के अंतर्गत अजयपुरी मैदान में अरके प्रसद की मुबह निरीक्षण के दौरान भेल जयपुरी मैदान में अरके प्रसद को अरके प्रसद के टेर लगे थे। इनसे आकारा परशुओ का झुंड था और आरापस गंदगी फैल रही थी। जानकारी जुटाने पर पता चला कि बीती रात मैदान में अजयपुरी निवासी मुन्नालाल की बेटी का विवाह आयोजन था। विवाह आयोजन के लिए भेल प्रवचन से अनुमति ली गई और सखी-सखई की राशि भी जमा करवाई गई थी। फिर भी मैदान की साफ-सफाई नहीं हुई। निगम ने आयोजकों से संपर्क किया और जुर्माना राशि देने की बात कही। इस पर उन्होंने राशि देने से मना कर दिया।

Name of Paper: दैनिक भास्कर  
Date: 08/12/2023 Vol: No: Page: Co: 2023

दैनिक भास्कर

दैनिक नव दुनिया

CD/M/DEC 2023

Date: 08/12/2023

हरि भूमि

**त्रिलगा में बिना ग्रीन नेट लगाए बिना निर्माण, ₹5000 का जुर्माना**

भोपाल। त्रिलगा में बिना ग्रीन नेट लगाए निर्माण करने पर नगर निगम ने भवन निर्माण करने वाले के खिलाफ 5000 रुपए का सॉफ्ट फाइन किया है। यह कार्रवाई जोन 6 के अमले ने शनिवार को की। निगम अधीनस्थ क्षेत्र के मुआयना विभाग में नाज़िर अहमद के फॉटो क्रमांक ई-8/61 पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यहां ग्रीन नेट नहीं लगाया गया है। ऐसे में उन पर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही भविष्य में लापरवाही नहीं करने को समझाया जा रहा है। दोषी पेशवा किताब में इससे भी अधिक जुर्माना लगाए जाने की बात कही गई है। गौरवलय है कि राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए निर्माण करने भवन पर ग्रीन नेट डालना अनिवार्य किया गया है, इसके निर्माण स्थल से उड़ने वाले धूल से ठीक दूरी पर नहीं हो।

**बिना ग्रीन नेट के निर्माण कार्य वाले भवन स्वामी पर सॉफ्ट फाइन**

भोपाल (वज्र)।

राशि वसूल की।

नगर निगम द्वारा शहर की स्वच्छता को बेहतर बनाने, पर्यावरण संरक्षण एवं वायु की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखने हेतु निरंतर कार्य किए जा रहे हैं साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाले एवं पर्यावरण व वायु को प्रदूषित करने वाली भी को जा रही है। इसी क्रम में निगम अमले ने त्रिलगा क्षेत्र में बिना ग्रीन नेट लगाए हुए भवन निर्माण कार्य कराने वाले भवन स्वामी के विरुद्ध सॉफ्ट फाइन की कार्यवाही करते हुए 5 हजार रुपए की

निगम आयुक्त फ्रैंक नोब्ल ए के निर्देश पर निगम अमले द्वारा गंदगी फैलाने वाली व पर्यावरण एवं वायु को प्रदूषित करने वाली के विरुद्ध कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है। जोन 6 के अमले ने शनिवार को यार्ड क्र. 48 के अंतर्गत त्रिलगा कालोनी में भवन क्र. ई-8/61 में बिना ग्रीन नेट लगाए निर्माण कार्य होता पाए जाने पर संबंधित भवन स्वामी नाज़िर अहमद से 05 हजार रुपए की राशि सॉफ्ट फाइन के रूप में वसूल की। निगम अमले ने संबंधित भवन स्वामी को समझावश भी दी कि वे भविष्य में ग्रीन नेट लगाकर ही निर्माण कार्य करें।

**ग्रीन नेट बिना करा रहे थे निर्माण कार्य, नगम ने किया सॉफ्ट फाइन**

हरि भूमि नव दुनिया भोपाल

नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छता को बेहतर बनाने, पर्यावरण संरक्षण व वायु की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व पर्यावरण व वायु को प्रदूषित करने वाली के

■ निगम अमले ने त्रिलगा क्षेत्र में 5 हजार रुपए वसूल



विरुद्ध सॉफ्ट फाइन की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में निगम अमले ने त्रिलगा क्षेत्र में बिना ग्रीन नेट लगाए हुए भवन निर्माण कार्य कराने वाले भवन स्वामी के विरुद्ध सॉफ्ट फाइन की कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए की राशि वसूल की।

निगम के जोन 6 के अमले ने शनिवार को यार्ड 48 के अंतर्गत त्रिलगा कालोनी में भवन क्रमांक ई-8-61 में बिना ग्रीन नेट लगाए निर्माण कार्य होता पाए जाने पर संबंधित भवन स्वामी नाज़िर अहमद से 5 हजार रुपए की राशि सॉफ्ट फाइन के रूप में वसूल की। निगम अमले ने संबंधित भवन स्वामी को समझावश भी दी कि वे भविष्य में ग्रीन नेट लगाकर ही निर्माण कार्य करें, अन्यथा और अधिक फटोरा कार्रवाई की जाएगी।

**दैनिक नव दुनिया**

**एक नजर में**

**ग्रीन नेट लगाए बिना निर्माण करने पर लगा जुर्माना**

भोपाल। शहर में ग्रीन नेट लगाए बिना निर्माण करने मकान मालिक पर नगर निगम ने पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दृढात्मक निगमयुक्त के निर्देश पर निगम अमले द्वारा शहर की स्वच्छता को बेहतर बनाने, पर्यावरण संरक्षण एवं वायु की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। जनकरी के अनुसार साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाले एवं पर्यावरण व वायु को प्रदूषित करने वाले के विरुद्ध सॉफ्ट फाइन पर जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। निगम के जोन क्रमांक 06 के अमले ने शनिवार को यार्ड क्रमांक 48 के अंतर्गत त्रिलगा कालोनी में भवन क्रमांक ई-8/61 में बिना ग्रीन नेट लगाए निर्माण कार्य किया जा रहा था। इससे भवन स्वामी नाज़िर अहमद से पांच हजार रुपए की राशि सॉफ्ट फाइन पर जुर्माना की कार्रवाई करते हुए वसूल की है। -न

**दैनिक पत्रिका**  
**ग्रीन नेट लगाए बिना निर्माण, त्रिलगा में पांच हजार रुपए लगाया जुर्माना**

भोपाल ७ पत्रिका। नगर निगम अमले ने त्रिलगा क्षेत्र में बिना ग्रीन नेट लगाए भवन निर्माण कार्य कराने वाले भवन स्वामी पर शनिवार को सॉफ्ट फाइन की कार्रवाई की। निगम ने पांच हजार रुपए की राशि वसूली। निगम के जोन क्रमांक 06 के अमले ने यं कार्रवाई की। यार्ड क्रमांक 48 के त्रिलगा कालोनी में भवन क्रमांक ई-8/61 में बिना ग्रीन नेट लगाए निर्माण कार्य हो रहा था।



**दैनिक सज एक्सप्रेस**

**ग्रीन नेट बिना लगाए निर्माण करने पर कार्रवाई**

भोपाल। ग्रीन नेट लगाए बिना भवन निर्माण करने वाले के खिलाफ नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। शनिवार को निगम अमले ने त्रिलगा इलाके में बिना ग्रीन नेट लगाए भवन निर्माण करने वाले भवन स्वामी के खिलाफ 5 हजार का सॉफ्ट फाइन किया है। निगम के जोन 6 के अमले ने यार्ड 48 के अंतर्गत त्रिलगा कालोनी में भवन क्रमांक ई-8/61 में बिना ग्रीन नेट लगाए निर्माण कार्य होता पाए जाने पर संबंधित भवन स्वामी नाज़िर अहमद से 5 हजार रुपए की राशि सॉफ्ट फाइन के रूप में वसूल की।

# Municipal Corporation, Bho

## READING ROOM SECTION

Name of Paper दैनिक नव भारत Place \_\_\_\_\_  
Date 27 DEC 2023 Vol \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Page \_\_\_\_\_  
C/D/No \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

## नागरिकों को दी स्वच्छता को लेकर समझाइश

### व्यवधान करने वालों पर की कार्यवाही

भोपाल, 26 दिसम्बर. नगर निगम द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को उच्चस्तरीय बनाने हेतु सतत रूप से कार्य किये जा रहे हैं साथ ही स्वच्छता के प्रति नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करने एवं स्वच्छता की गतिविधियों में सहयोग करने हेतु स्वच्छता की गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है।

इसो वारतम्भ में जोन क्र. 14 के अंतर्गत आने वाले वार्डों में स्वच्छता संबंधी कार्यों के साथ ही विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यों की जानकारी दी एवं निगम की साफसफाई व्यवस्था में सक्रिय सहयोग करने व सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, फुटपाथों पर गंदगी, सौरेंडही वेस्ट



आदि न फैलाने, पालीथिन, सिंगल यूज प्लास्टिक इत्यादि का उपयोग न करने की समझाइश दी तथा साफ सफाई व्यवस्था में विभिन्न प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही भी की गई और 35 प्रकरणों में 06 हजार 800 रुपये की राशि वसूल की।

NOTE

Number of Pages: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_  
 Date: 01 DEC 2023 Vol: \_\_\_\_\_ No: \_\_\_\_\_ Page: \_\_\_\_\_  
 CD/No: \_\_\_\_\_ Date: 01 DEC 2023

दैनिक भास्कर

NEWS

### कर्मियों ने सड़क पर डाला कचरा निगमकर्मियों ने बैंक परिसर में फेंका

निगमकर्मियों ने 500 रु. का स्पॉट फाइन भी लगाया

द्वारासुरतार रिपोर्टर | भोपाल

बैंक कर्मियों की ओर से कचरा सड़क पर फेंकना नगर निगम के सफाई अमले को इस कदर जगधर भुजा को तमने वही कचरा उठाया और वापस बैंक परिसर में उड़ेल दिया। घटनाक्रम 12 नंबर स्थित बैंक ऑफ बड़ोदा पर हुआ। दो दिन पहले इस घटनाक्रम का वीडियो शूटिंग को वायरल हुआ। वीडियो में दो वीर जोन्स अभिवादी रवींद्र यादव बैंक पर खड़े नजर आ रहे हैं। इस संघर्ष

में जब रवींद्र यादव से बात की गई तो उनका कहना था कि घटना 27 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे की है। यहाँ रफार्ड की माफ़ी मांग कर रही थी, ऐसे में सफाईकर्मियों ने बैंक से निकले पकवरासीडिंग अतिरिक्त कचरा एक स्थान पर एकत्रित करने की बात कही थी। लेकिन, बैंक के कर्मियों ने कचरा सड़क पर लाकर पट्टा दिया। ऐसे में हमारी एक कर्मचारी ने उक्त कचरा उठाकर खपरा बैंक कंपाउंड में डाल दिया था। वीर बैंक मैनेजर से बात की, उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और कर्मियों को समझावरा दी। उक्त बैंककर्मियों पर 500 रूपय का स्पॉट फाइन लगाया गया है।

दैनिक भास्कर

### 12 नंबर स्टॉप पर बैंक ऑफ बड़ोदा के सामने डंप था कचरा



कचरा बैंक के पास में फेंकता कर्मचारी।

### एचओ ने बैंक कैम्पस में फिंकवा दिया कचरा, बैंक खुलते ही पहुंचे और लगा दिया स्पॉट फाइन

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल  
 मो.नं. 9300697983

गंदगी फैलाने वाले पर नगर निगम सख्त हो गया है। नया मामला 12 नंबर स्टॉप का है। जहाँ एचओ ने बैंक ऑफ बड़ोदा के बाहर डंप कचरा बैंक कैम्पस में फिंकवा दिया। बाकायदा इसका वीडियो बनवाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जिससे नगर निगम की किरकिरी हो गई। लोग निगम से पूछ रहे हैं कि ये किस तरह की कार्रवाई है।  
 बता दें कि जोन 6 के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी (एचओ) रविंद्र यादव सुबह के वक्त जोन में सफाई-सफाई का जायजा लेने



निकले थे। जब 12 नंबर स्टॉप पर पहुंचे तो यहाँ बैंक ऑफ बड़ोदा की वाइंडोवॉल के सामने कचरा डंप मिला। उन्होंने तत्काल सफाई कर्मचारियों को बुलाया और कचरा उठवाकर बैंक कैम्पस में

फिंकवाना शुरू कर दिया। इस पूरी कार्रवाई का उन्होंने अपने मातहत कर्मचारियों से वीडियो भी बनवाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने निगम से पूछना शुरू कर दिया कि ये किस तरह की कार्रवाई है। अगर कचरा पड़ा था तो उसे उठवाना चाहिए था न कि बैंक के अंदर फिंकवाना ता। निवयानुसार बैंक पर जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती थी और बैंक को कचरा उठवाया जा सकता था। सोशल मीडिया पर किरकिरी होते देख एचओ आनन-फानन में बैंक पहुंचे और अपनी कार्रवाई की सफाई देते हुए स्पॉट फाइन कर दिया, जिसे बैंक ने चुका दिया।

### बाहर रखा कचरा अंदर रखवाने की है जानकारी

एचओ ने बैंक परिसर में कचरा फिंकवाया नहीं है, बाहर रखा कचरा अंदर रखवाने की जानकारी मुझे है। मैंने जुर्माने करने को भी कहा था। उम्मीद करते हैं कि एचओ ने कचरा बैंक परिसर में फिंकवाया है, जिसका वीडियो भी बनाया है। ऐसा कोई वीडियो मैंने नहीं देखा। अगर ऐसा है तो एचओ से बात की जाएगी। हालांकि एचओ की मंशा गलत नहीं थी, हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो।

विनीत तिवारी, अपर आयुक्त, नगर निगम

For complete report information and necessary action

DELHI/MP/2023/001/12/2023

# Municipal Corporation, Bhopal.

## 'READING ROOM SECTION'

Title of Paper

Place

Date

26 JAN 2024

Vol

No

Page

Co

दैनिक राज एक्सप्रेस,

C/D/No

Date

26 JAN 2024

### गंदगी करने वालों पर लगा स्पॉट फाइन

भोपाल। गुरुवार को नगर निगम टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में गंदगी करने वालों के खिलाफ स्पॉट फाइन लगाये। स्वस्थ विभाग के अमले ने अर्वाका गार्डन 80 फिट रोड इलाके में होटल, रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण किया। ऐसे अप्रतिष्ठ प्रबंधन अधिनियम 2016 के तहत फिर गुर निरीक्षण के दौरान दरबार-ए-भोपाल, नयाव होटल, बदखुर रेस्टोरेंट, म-शिरयानी चिकन, मकरानी होटल पर गीला-सूखा कचरा अलग-अलग नौ मिला। वहीं कचरे के लिए अलग-अलग इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं पर गुर। के अलावा होटलों पर प्रसिद्धि पॉलीथीन व सिगल यूज प्लास्टिक का गेम हो रहा था। अमले ने 4 हजार का स्पॉट फाइन लगाया।

NOTE

Name of Page दैनिक नव भारत

Date 10 JAN 2024

Vol

No

Page

दैनिक नव भारत

दैनिक पीपुल्स समाजवादी

Cut No

Date 10 JAN

### निगम अमले ने स्पॉट फाइन के रूप में वसूले 25800 रुपए

भोपाल, 9 जनवरी. नगर निगम द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने व आवागमन को सुचारू बनाये रखने हेतु कार्यवाही निरंतर की जा रही है साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही भी लगातार की जा रही है।

इसी तारताम्य में निगम अमले ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने व प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही करते हुए 82 प्रकरणों में 25 हजार 800 रुपए की राशि वसूल की। निगम आयुक्त फैक नोबल ए के निदेश पर निगम के स्वास्थ्य

विभाग व अतिक्रमण विरोधी अमले ने विभिन्न जोन क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी, सीएंडडी वेस्ट फैलाने, कचरा पृथक-पृथक न रखने, दुकानों पर दो इस्टबिन रखने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक/ पालीथिन का उपयोग व खुले में मूत्र विसर्जन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जोन 06 में 08 प्रकरणों में 04 हजार 400 रुपए, जोन 09 में 04 प्रकरणों में 400 रुपए, जोन 10 में 12 प्रकरणों में 02 हजार 100 रुपए, जोन 14 में 31 प्रकरणों में 08 हजार 300 रुपए, जोन 17 में 01 प्रकरण में 02 हजार रुपए तथा जोन क्र. 18 में 26 प्रकरणों में 08 हजार 600 रुपए की राशि स्पॉट फाइन के रूप में वसूल की।

### खाली प्लॉट में डंप हो रहा था कचरा, एएचओ ने किया 2,000 रुपए का जुर्माना

भोपाल। जोन-17 में करोड़ स्थित फिजा कॉलोनी में एक खाली प्लॉट में कचरा फेंका जा रहा था। प्लॉट के आसपास रहने वालों ने कई बार प्लॉट मालिक से साफ-सफाई कराने के साथ ही प्लॉट की बाउंड्रीवाल बनवाने को कहा, जिसे उसने अनसुना कर दिया। इसकी शिकायत एएचओ रामरतन लोहिया को मिली, तो भंगलवार को वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्लॉट मालिक को फोन कर मौके पर बुलाया। प्लॉट मालिक ने चालान कोर्ट में न भेजने का अनुरोध किया, तो एएचओ ने 2000 रुपए का स्पॉट फाइन किया। साथ ही प्लॉट मालिक को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो प्लॉट की सफाई कराकर बाउंड्रीवाल बनवाएं। भविष्य में अगर शिकायत मिली, तो कम से कम 10 हजार रुपए का चालान कोर्ट भेजा जाएगा।

# Municipal Corporation, Bhopal.

READING ROOM SECTION

Name of Paper: दैनिक पीपुल्स समाचार

Date: 2 FEB 2024 Vol: 2 No: 2024 Page: 2 Co: 2024

Place: \_\_\_\_\_

CD/ISS: FEB 2024

Date: \_\_\_\_\_

## कार्डों में लापरवाही पर मुलम कॉम्प्लेक्स पर 1000 रु जुर्माना

भागाल। राजधानी में मंदी फैलाने वाली के साथ ही मुलम कॉम्प्लेक्स में कार्डों व्यवस्था में लापरवाही अफ़सरी के खिलाफ नगर निगम स्मॉल कार्डन की कार्डों कर रहा है। मुग़लार को ज़ोन-9 के तहत अशोकन गार्डन मंत्री परिवार स्थित मुलम जनसुविधा केंद्र पर व्यवस्थापक मानक स्तर की नहीं मिलने पर एक हजार रुपए का स्मॉल कार्डन किया गया। यह कॉम्प्लेक्स मुलम इंटरनेशनल सोशल अर्गनाइजेशन द्वारा संचालित किया जाता है। वहां कार्डों व्यवस्था गंभीर तौर से बाध हो चुकी है। निगम को भी कार्डों में दिक्कत का सामना करना पड़ा। निगम को भी कार्डों में दिक्कत का सामना करना पड़ा। निगम को भी कार्डों में दिक्कत का सामना करना पड़ा। निगम को भी कार्डों में दिक्कत का सामना करना पड़ा।

## टीवलेट में मिली मंदी जुर्माना

भागाल। नगर के एक टीवलेट में मंदी मिलने पर नगर निगम ने एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह टीवलेट अशोकन गार्डन स्थित मुलम जनसुविधा केंद्र पर है। निगम को ज़ोन-9 के तहत अशोकन गार्डन मंत्री परिवार स्थित मुलम जनसुविधा केंद्र पर व्यवस्थापक मानक स्तर की नहीं मिलने पर एक हजार रुपए का स्मॉल कार्डन किया गया। यह कॉम्प्लेक्स मुलम इंटरनेशनल सोशल अर्गनाइजेशन द्वारा संचालित किया जाता है। वहां कार्डों व्यवस्था गंभीर तौर से बाध हो चुकी है। निगम को भी कार्डों में दिक्कत का सामना करना पड़ा। निगम को भी कार्डों में दिक्कत का सामना करना पड़ा। निगम को भी कार्डों में दिक्कत का सामना करना पड़ा।

NOTE

## मुलम जनसुविधा केंद्र पर स्मॉल कार्डों की कार्रवाई

भागाल। नगर निगम द्वारा नगर की स्मॉल कार्डों व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा नागरिकों की सुविधा के लिए मुलम जनसुविधा केंद्रों की जांच पर सखी व्यवस्थापक विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है और स्मॉल कार्डों व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने तथा जनसुविधा केंद्रों में मानक स्तर की व्यवस्थापक न रखने वाली के खिलाफ स्मॉल कार्डों की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निगम के ज़ोन-9 के अन्तर्गत अशोकन गार्डन मंत्री क्षेत्र स्थित मुलम जनसुविधा केंद्र पर व्यवस्थापक मानक स्तर की न पार करने पर 10 हजार रुपए का स्मॉल कार्डन किया।

## मुलम जनसुविधा केंद्र पर फाइन

भागाल। अशोकन गार्डन मंत्री क्षेत्र स्थित मुलम जनसुविधा केंद्र पर नगरीय निगम ने एक हजार रुपए का स्मॉल कार्डन किया। निगम अशोकन गार्डन मंत्री क्षेत्र के निगम पर नियंत्रण अफ़सरी ने कार्रवाई की। यहां मुलम जनसुविधा केंद्र पर स्मॉल कार्डन किया गया। निगम को ज़ोन-9 के तहत अशोकन गार्डन मंत्री परिवार स्थित मुलम जनसुविधा केंद्र पर व्यवस्थापक मानक स्तर की नहीं मिलने पर एक हजार रुपए का स्मॉल कार्डन किया गया। यह कॉम्प्लेक्स मुलम इंटरनेशनल सोशल अर्गनाइजेशन द्वारा संचालित किया जाता है। वहां कार्डों व्यवस्था गंभीर तौर से बाध हो चुकी है। निगम को भी कार्डों में दिक्कत का सामना करना पड़ा। निगम को भी कार्डों में दिक्कत का सामना करना पड़ा। निगम को भी कार्डों में दिक्कत का सामना करना पड़ा।

Municipal Corporation, Bhopal  
READING ROOM SECTION

Name of Page: ...  
Date: 5 JAN 1974  
Page No: ...  
Page: ...  
Page: ...

निगम अमले ने गंदगी फैलाने वालों से 31 हजार का स्पॉट फाइन वसूला

नगर निगम द्वारा नगर की सड़क-पथों पर गंदगी फैलाने वाले लोगों को 31 हजार रुपये का स्पॉट फाइन वसूला है। नगर निगम के सफाई विभाग के अधिकारियों ने गंदगी फैलाने वाले लोगों को 31 हजार रुपये का स्पॉट फाइन वसूला है। नगर निगम के सफाई विभाग के अधिकारियों ने गंदगी फैलाने वाले लोगों को 31 हजार रुपये का स्पॉट फाइन वसूला है।

गंदगी फैलाने पर नगर निगम द्वारा सफाई विभाग के अधिकारियों ने गंदगी फैलाने वाले लोगों को 31 हजार रुपये का स्पॉट फाइन वसूला है। नगर निगम के सफाई विभाग के अधिकारियों ने गंदगी फैलाने वाले लोगों को 31 हजार रुपये का स्पॉट फाइन वसूला है।

डकों और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर कार्रवाई 100 रुपये स्पॉट फाइन के रूप में वसूले

5 जनवरी, नगर निगम द्वारा सफाई विभाग के अधिकारियों ने गंदगी फैलाने वाले लोगों को 100 रुपये का स्पॉट फाइन वसूला है। नगर निगम के सफाई विभाग के अधिकारियों ने गंदगी फैलाने वाले लोगों को 100 रुपये का स्पॉट फाइन वसूला है।

Date: 6 FEB 2024  
Page: 5  
Date: 5 FEB 2024

**नगर निगम ने क्री कार्रवाई**  
**10 डंपर सी एंड डी वेस्ट जब्त, गंदगी करने**  
**वालों पर ₹ 1 लाख 11 हजार का जुर्माना**

भोपाल। बीमा, चिकित्सालय, सोनागिरी, इन्द्रपुरी और आनंद नगर क्षेत्र से नगर निगम ने व्यापारियों के विरोध के बीच पुलिस की मदद से 1 लाख 11 हजार 900 रुपए का जुर्माना किया। जोनल अधिकारी ठाकुर सिंह और पंचओ मंगन झा की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई में 10 डंपर सी एंड डी वेस्ट जब्त कर 60 हजार

का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही इस एरिया में अतिक्रमण और गंदगी के साथ कचरा जलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर 51,700 रुपए का जुर्माना किया गया। इसके अलावा सेमरा क्षेत्र में खाली प्लॉट पर कचरा पाए जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

**अतिक्रमण पर टीम ने 1 लाख 11 हजार 700 वसूले**  
**निगम ने सामग्री जब्त कर**  
**लगाया 60 हजार का जुर्माना**

भोपाल @ पत्रिका सड़क पर निर्माण सामग्री रखकर कारोबार करने वालों पर सोमवार को नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने बड़ी कार्रवाई की। निगम के अमले ने करीब 10 डंपर रेत, गिट्टी जब्त की। 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अपर आयुक्त विनीत तिवारी ने बताया किसी को भी इस तरह सड़क पर सामग्री रखकर कार्य नहीं करने दिया जाएगा। निगम ने कुल 1 लाख 11 हजार 700 रुपए की राशि बताओ जुर्माना वसूली। नगर निगम प्रशासन व पुलिस प्रशासन

पिपलानी थाना थल के सहयोग से अतिक्रमण, स्वास्थ्य विभाग अमले ने कार्रवाई पूरी की। कारोबारियों ने विरोध किया लेकिन पुलिस बल की उपस्थिति में कार्रवाई नहीं रुकी। श्रीमा चिकित्सालय सोनागिरी, इन्द्रपुरी सी सेक्टर, आनंद नगर क्षेत्र से बाई 62 कार्यालय के पास किए अतिक्रमण गुमटी, टेल भी हटाए। कल्पना नगर सहकारी परिसर रायसेन रोड पर मुख्य मार्ग से अवैध अतिक्रमण कर बिल्डिंग मटेरियल सामग्री का व्यवसाय करने वालों को हटाया।

**दैनिक सज्ज एकाप्रेस**

**12 डंपर रेत-गिट्टी जब्त, 60 हजार जुर्माना**

भोपाल। सड़क किनारे निर्माण सामग्री रख कर बेचने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। कल्पना नगर सहकारी परिसर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर अवैध तौर से रेत, गिट्टी रेंव रहे 12 व्यवसायियों पर दंडित की। उनसे स्पॉट फाइन के तौर पर 60 हजार रुपए वसूल किया।

**खाली प्लॉट पर**  
**कचरा, 1000 रुपए**  
**स्पॉट फाइन**

भोपाल @ पत्रिका, भोपाल नगर निगम के सेमरा क्षेत्र पुरुषोत्तम नगर में खाली प्लॉट पर गंदगी की स्थिति को लेकर सोमवार को मुहिम चलाई गई। यहाँ खाली प्लॉटों का निरक्षण किया गया। जिसमें खासी प्लॉट पर कचरा पाए जाने पर 1000 रुपए स्पॉट फाइन भी किया। प्लॉट की सफाई भी कराई गई। प्लॉट मालिक को समझाइश दी गई की उक्त प्लॉट को कवर्ड करें, जिससे गंदगी न हो। प्लॉट मालिक द्वारा आरवासन दिया गया है कि वह प्लॉट को जल्द कवर्ड कर लेंगे। उक्त खाली प्लॉटों के संबंध में याचिका लगी हुई है।

Number of Pages \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Vol. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ Page \_\_\_\_\_

दैनिक सप्त पत्रिका  
दैनिक नव बुनिया

**कचरा जलाने पर 3 हजार का जुर्माना**

शुद्ध नगर निगम के सहायक विभाग के अंतर्गत सैनिकार का रेलवे ट्रैक के पास कचरा जलाने पर दंडकारण पर कार्रवाई करते हुए 3 हजार का जुर्माना लगाया। सहायक निगम प्रमुख का निरीक्षण के दौरान पता चला कि कचरा जलाने वाले ट्रैक के अलावा ट्रैक के पास कचरा जलाने वाले जगहों का भी पता चला है। सैनिकार का निरीक्षण के दौरान सैनिकार के कर्मचारी कचरा जलाने का काम कर रहे थे। सहायक निगम प्रमुख द्वारा दंडकारण पर सैनिकार को कार्रवाई की गई। साथ ही सैनिकार के अलावा कचरा जलाने की जगहों का भी पता चला है। सैनिकार के कर्मचारी को दंडकारण पर सैनिकार को कार्रवाई की गई। साथ ही सैनिकार के अलावा कचरा जलाने की जगहों का भी पता चला है। सैनिकार के कर्मचारी को दंडकारण पर सैनिकार को कार्रवाई की गई। साथ ही सैनिकार के अलावा कचरा जलाने की जगहों का भी पता चला है।

**रेलवे ट्रैक पर जलाना कचरा तीन हजार का जुर्माना**

शुद्ध नगर निगम द्वारा सैनिकार को सैनिकार के अलावा कचरा जलाने की जगहों का भी पता चला है। सैनिकार के कर्मचारी को दंडकारण पर सैनिकार को कार्रवाई की गई। साथ ही सैनिकार के अलावा कचरा जलाने की जगहों का भी पता चला है। सैनिकार के कर्मचारी को दंडकारण पर सैनिकार को कार्रवाई की गई। साथ ही सैनिकार के अलावा कचरा जलाने की जगहों का भी पता चला है।

**पट्टी के किनारे कचरा जलाने पर रेलवे कॉन्टेनर पर 3000 जुर्माना**

शुद्ध नगर निगम में सहायक विभाग का सैनिकार के अलावा कचरा जलाने की जगहों का भी पता चला है। सैनिकार के कर्मचारी को दंडकारण पर सैनिकार को कार्रवाई की गई। साथ ही सैनिकार के अलावा कचरा जलाने की जगहों का भी पता चला है। सैनिकार के कर्मचारी को दंडकारण पर सैनिकार को कार्रवाई की गई। साथ ही सैनिकार के अलावा कचरा जलाने की जगहों का भी पता चला है।

**कार्रवाई**

सैनिकार के कर्मचारी को दंडकारण पर सैनिकार को कार्रवाई की गई। साथ ही सैनिकार के अलावा कचरा जलाने की जगहों का भी पता चला है। सैनिकार के कर्मचारी को दंडकारण पर सैनिकार को कार्रवाई की गई। साथ ही सैनिकार के अलावा कचरा जलाने की जगहों का भी पता चला है।

# Municipal Corporation, Bhopal

READING ROOM SECTION

दैनिक सख एक्सप्रेस

Name of Paper

Place

Date

1 FEB 2024

No

Page

Co

दैनिक सख एक्सप्रेस

C/D/No

1 FEB 2024

दैनिक भास्कर

Date

NOTE

## कुकडू कु रेस्टोरेंट का फूड लायसेंस सस्पेंड

### तंदूर में कोयले के उपयोग पर कार्रवाई

भोपाल। अशोक गार्डन में 80 फीट चेद स्थित कुकडू कु रेस्टोरेंट का फूड लायसेंस निलंबित कर दिया गया है। रेस्टोरेंट के तंदूर में लकड़ी व कोयले का उपयोग करने पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। निर्लम्बन के दौरान रेस्टोरेंट में खाद्य सामग्री न तो फरोसी जा सकेगी और न ही बेच सकेगे।

मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र कुमार दुबे ने बताया कि 80 फीट चेद पर स्थित 11 रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया था। इनमें तंदूरों की जांच की गई। कुकडू कु रेस्टोरेंट के तंदूर में लकड़ी व कोयले के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से खाद्य संजीवन निलंबित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि इंडियन कोफ़ी वंड टी रेस्टोरेंट और शर्माजी प्योर बेज रेस्टोरेंट का संयोजन बिना खाद्य संजीवन के किया जा

रहा था। ऐसे में अभिलिखित अधिनियमों के निर्देश पर प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और सवक अधिनियम, 2006 के तहत प्रचलन कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें दो सप्ताह तक जे जमाने का प्रावधान है।

एनजीटी के निर्देश पर कार्रवाई: अशोक गार्डन में 80 फीट चेद पर चला रहे हैंडेलो, रेस्टोरेंट में शिमड़ी, तंदूर व भट्टी के इस्तेमाल से हो रहे प्रदूषण को लेकर एनजीटी की सेंट्रल बेच में याचिका लगाई गई थी। बेच ने मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन और नगर निगम को भीतर मुआयना कर जांच करने के निर्देश दिए थे। संवृद्ध टीम की ओर से रिफ्यूजल को सौंपी रिपोर्ट में रेस्टोरेंट्स में पर्यावरण में अपरिष्कृत निचमों के उत्सर्जन के बारे में बताया गया था, इसके आधार पर बेच ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

## तंदूर में लकड़ी-कोयला... अशोक गार्डन के कुकडू-कु रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड

भोपाल राजधानी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार को नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ मिलकर शहर के रेस्टोरेंट की जांच की। इस दौरान अशोक गार्डन 80 फीट चेद स्थित 11 रेस्टोरेंट में नये तंदूरों की जांच की गई। इस दौरान कुकडू-कु रेस्टोरेंट के तंदूर में लकड़ी और कोयले का उपयोग होना पाया गया। इसके चलते रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। सभी रेस्टोरेंट को किसी भी तरह के खाद्य उत्पादन बेचने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है।

No. of Pages: 16  
Date: 15 DEC 2023  
No. of Pages: 16  
Date: 15 DEC 2023

दैनिक भीमवल्ल समाचार

15 DEC 2023

# खुले में फेंका शादी का बचा खाना, भेल ने नहीं

नगर निगम ने भेल प्रबंधन के खिलाफ मामला कार्रवाई के लिए भेजा


श्रीवृत्ता समाचारदाता • भोपाल  
www.bhopalnews.com

भेल जमीनी मैदान में शादी के बाद बचा हुआ खाना, विशेषज्ञों के साथ ही सफाई करवा देना चाहिए। इसे साफ न करवा देने के मामले में नगर निगम अंतर्धानियम 1956 के प्रावधानों के तहत शादी समारोह के आयोजक और जमीनी मैदान में शादी को अनुमति देने वाले भेल के विपरीत निर्देशों का अनाक प्रत्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई के लिए भेजा गया।


नगर निगम ने कि भेल के जमीनी मैदान में भोजन तैयार करवा शादी को अनुमति दी गई। शादी के बाद बचा खाना और विशेषज्ञों के



श्रीवृत्ता भेल के जमीनी मैदान में शादी के बाद बचा हुआ खाना और विशेषज्ञों के साथ ही सफाई करवा देना चाहिए। इसे साफ न करवा देने के मामले में नगर निगम अंतर्धानियम 1956 के प्रावधानों के तहत शादी समारोह के आयोजक और जमीनी मैदान में शादी को अनुमति देने वाले भेल के विपरीत निर्देशों का अनाक प्रत्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई के लिए भेजा गया।



## दैनिक नव बुनिया शादी के बाद बचा भोजन मैदान में फेंकना पड़ा मंहगा



श्रीवृत्ता नव बुनिया प्रतिनिधि

भोपालक नव बुनिया प्रतिनिधि (1) और शहरों को नगरीय प्रबंधन भेल के जमीनी मैदान में शादी के बाद बचा हुआ भोजन खुले में फेंकना आयोजकों को प्यारी प्यारी मय, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारी अनाक प्रत्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई के लिए भेजा गया। नगर निगम के टीम को नगर निगम के जमीनी मैदान में शादी के बाद बचा हुआ भोजन फेंकना पड़ा मंहगा। नगर निगम के जमीनी मैदान में शादी के बाद बचा हुआ भोजन फेंकना पड़ा मंहगा। नगर निगम के जमीनी मैदान में शादी के बाद बचा हुआ भोजन फेंकना पड़ा मंहगा।

## दैनिक पत्रिका

### जमीनी मैदान में कचरे पर विवाद, कोर्ट में चारलान

भोपालक दैनिक पत्रिका प्रतिनिधि

भोपालक दैनिक पत्रिका प्रतिनिधि (1) और शहरों को नगरीय प्रबंधन भेल के जमीनी मैदान में शादी के बाद बचा हुआ भोजन खुले में फेंकना आयोजकों को प्यारी प्यारी मय, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारी अनाक प्रत्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई के लिए भेजा गया। नगर निगम के टीम को नगर निगम के जमीनी मैदान में शादी के बाद बचा हुआ भोजन फेंकना पड़ा मंहगा। नगर निगम के जमीनी मैदान में शादी के बाद बचा हुआ भोजन फेंकना पड़ा मंहगा।

### Inspection Photographs in OA No 149/2023

On Dated 16/02/2024



**Open Land**

**near AIIMS Gate No. 4**




**Vacant Plot No. 1 at Purshottam Nagar, Simra Gate**

Latitude: 23.270542  
Longitude: 77.428472  
Elevation: 516.2±19 m  
Accuracy: 5.4 m  
Time: 02-16-2024 17:04



स्वच्छ  
सूचना  
सार्वजनिक स्थल / नाला-नाली / खाली  
भूखण्ड में कचरा डालना एवं कचरा  
जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, ऐसा करते  
पाये जाने पर जुर्माने / कोर्ट चालान की  
कार्यवाही की जावेगी।



Latitude: 23.270673  
Longitude: 77.428435  
Elevation: 517.5±19 m  
Accuracy: 10.6 m  
Time: 02-16-2024 17:06

स्वच्छ  
सर्वक्षण  
सूचना  
स्वच्छ भारत मिशन  
सार्वजनिक स्थल / नाला-नाली / खाली  
भूखण्ड में कचरा डालना एवं कचरा  
जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा करते पाये  
जाने पर जुर्माने / कोर्ट चालान की कार्यवाही  
की जावेगी।  
आदेशानुसार  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम, भोपाल



Latitude: 23.270661  
Longitude: 77.428374  
Elevation: 517.5±17 m  
Accuracy: 10.0 m  
Time: 02-16-2024 17:06

Powered by NoteCam

**Vacant Plot No. 2 at Purshottam Nagar, Simra Gate**